भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

चौंसठ जोगिनी मंदिर, जबलपुर के लिये धरोहर उप-विधि

Heritage Byelaws for Chaunsath Jogini Temple, Jabalpur

विषयवस्तु

	अध्याय I **प्रारंभिक**	
1.0	संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ	01
1.1	परिभाषाएँ	01
	अध्याय II **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि**	
2.0	अधिनियम की पृष्ठभूमि	04
2.1	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	04
2.2	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां(नियमों के अनुसार)	04
	अध्याय III **केंद्रीय संरक्षित स्मारकचौंसठ जोगिनीमंदिर, जबलपुर का स्थान एवं अवस्थिति**	
3.0	स्मारक का स्थान एवं अवस्थिति	05
3.1	स्मारक की संरक्षित चारदीवारी	07
	3.11भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकार्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र / योजना:	07
3.2	स्मारक / स्थल का इतिहास	07
3.3	स्मारक का विवरण (वास्तुशिल्पीय विशेषताएं, तत्व, सामग्रियॉं आदि)	07
3.4	वर्तमान स्थिति	08
	3.4.1स्मारकों की स्थिति- स्थिति का आकलन	08
	3.4.2प्रतिदिन आने वाले और कभी-कभार एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या	08
	अध्याय IV **स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में, विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो**	
4.0	स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में विद्यमान क्षेत्रीकरण	08
4.1	स्थानीय निकायों के वर्तमान दिशा-निर्देश	09
	अध्याय V **प्रथम अनुसूची एवं टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना**	
5.0	स्मारक की रूपरेखा	09

5.1	सर्वेक्षित ऑकड़ों का विश्लेषण	09
	5.1.1प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	09
	5.1.2निर्मित क्षेत्र का विवरण	10
	5.1.3हरित/खुले क्षेत्रों का विवरण	10
	5.1.4परिसंचरण के अंर्तनिहित आवृत्त क्षेत्र- सड़क, पैदल पथ आदि	11
	5.1.5भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार)	11
	5.1.6 राज्य संरक्षित स्मारक और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रतिषिद्धविनियमित क्षेत्र में सूचीबद्ध धरोहर भवन	11
	5.1.7 सार्वजनिक सुविधाएं	12
	5.1.8 स्मारक तक पहुँच	12
	5.1.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं	12
	5.1.10 प्रस्तावित क्षेत्रीकरण(स्थानीय निकायों के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षेत्र)	12
	अध्याय VI **स्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व**	
6.0	वास्तुकला,ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	12
6.1	स्मारकों की संवेदनशीलता	13
6.2	संरक्षित स्मारकों अथवा क्षेत्र से दृश्य और विनियमित क्षेत्र से दिखाई देने वाला दृश्य	13
6.3	पहचान किये जाने वाले भू-उपयोग	13
6.4	संरक्षित स्मारकों के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष	13
6.5	सांस्कृतिक भूदृश्य	14
6.6	महत्वपूर्ण प्राकृतिक भूदृश्य	14
6.7	खुले स्थान तथा निर्मित स्थान का उपयोग	14
6.8	परंपरागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियॉं	14
6.9	स्मारकों एवं विनियमित क्षेत्रों से दृश्यमान क्षितिज	14
6.10	स्थानीय स्थापत्य	15
6.11	स्थानीय प्राधिकरणोंद्वारा उपलब्ध विकासात्मक योजना	15
6.12	भवन संबंधी मापदंड	15
6.13	आगंतुक सुविधाएं और साधन	16
	अध्याय VII **स्थल विशिष्ट संस्तुतियां**	
7.1	स्थल विशिष्ट संस्तुतियां	16
7.2	अन्य संस्तुतियॉं	17

CONTENTS

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.0	Notification and Short title, Extent and Commencement	18
1.1	Definitions	19

CHAPTER II

BACKGROUND OF THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (AMASR) ACT, 1958

2.0	Background of the Act	21
2.1	Provision of Act related to Heritage Bye-Laws	21
2.2	Rights and Responsibilities of Applicant	21

CHAPTER III

LOCATION AND SETTING OF CENTRALLY PROTECTED MONUMENT OF CHAUNSATH JOGINI, JABALPUR

3.0	Location and Setting of the Monument	22
3.1	Protected boundary of the Monument	23
	3.1.1 Notification Map/Plan as per ASI records	23
3.2	History of the Monument	23
3.3	Description of Monument (Architectural features, Elements, Materials etc.)	23
3.4	Current Status:	24
	3.4.1 Condition of Monument	24
	3.4.2 Daily footfalls and Occasional gathering numbers	24

CHAPTER IV

EXISTING ZONING, IF ANY, IN THE LOCAL AREA DEVELOPMENT PLAN

4.0	Existing Zoning in the local area development plans	24
4.1	Existing Guidelines of the local bodies	25

CHAPTER V

INFORMATION AS PER FIRST SCHEDULE AND TOTAL STATION SURVEY

5.0	Contour Plan of the fort	25
5.1	Analysis of surveyed data:	25
	5.1.1 Protected Area, Prohibited Area and Regulated Area details	25
	5.1.2 Description of built up area	26
	5.1.3 Description of green/open spaces	26
	5.1.4 Area covered under circulation – roads, footpaths etc.	27
	5.1.5 Height of buildings (zone-wise)	27
	5.1.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings	27

	5.1.7 Public amenities	27
	5.1.8 Access to monument	27
	5.1.9 Infrastructure services	27
	5.1.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies	28
	CHAPTER VI **ARCHITECTURAL, HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL VALUE OF THE MONUMENT**	
6.0	Historical and archaeological value	28
6.1	Sensitivity of the monument	28
6.2	Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area	29
6.3	Land-use to be identified	29
6.4	Archaeological heritage remains other than protected monument	29
6.5	Cultural landscapes	29
6.6	Significant natural landscapes	29
6.7	Usage of open space and constructions	29
6.8	Traditional, historical and cultural activates	30
6.9	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	30
6.10	Traditional architecture	30
6.11	Developmental plan as available by the local authorities	30
6.12	Building related parameters	30
6.13	Visitor facilities and amenities	31
	CHAPTER VII **SITE SPECIFIC RECOMMENDATIONS**	
7.1	Site Specific Recommendations	31
7.2	Other Recommendations	31

संलग्नक/ ANNEXURES

संलग्नक-I	चौंसठ जोगिनी मंदिर की अवस्थिति	32
Annexure- I	Location of Chaunsath Jogini Temple	32
संलग्नक-II	चौसठ जोगिनी मंदिर की सर्वेक्षण योजना	33
Annexure- II	Survey Plan of Chaunsath Jogini Temple	33
संलग्नक- III	चौसठ जोगिनी मंदिर की अधिसूचना	34
Annexure- III	Notification of Chaunsath Jogini Temple	34
संलग्नक-IV	स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देश	37
Annexure- IV	Local Body Guidelines	47
संलग्नक- V	**भेड़ाघाट विकास योजना-2021**	54
Annexure-V	Bheraghat Development Plan-2021	54
संलग्नक-VI	**स्मारक के प्रतिवेश के छायाचित्र**	55
Annexure-VI	Images of the area surrounding the monument	55

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 जिसे प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उपविधि- बनाना और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पढ़ा जाए, की धारा 20 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय संरक्षित स्मारक चौंसठ जोगिनी मंदिर जबलपुर के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि जिन्हें योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के साथ परामर्श करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य निष्पादन), नियम 2011 के नियम 18, उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित सभी व्यक्तियों की आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतत् द्वारा 28.07.2020 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझाव,पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अिधनियम,1958 की धारा 20 ई के खंड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित धरोहर उप-विधि बनाता है, नामत:-

धरोहर उप-विधि
अध्याय I
प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(i) इन उप-विधियों को केंद्रीय संरक्षित स्मारक चौंसठ जोगिनी मंदिर, जबलपुर की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उपविधि, 2020 कहा जाएगा।
(ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक प्रभावी होंगी।
(iii) ये उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

1.1 परिभाषाऍं-

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या दफ़नगाह,या कोई गुफा, शैल-रूपकृति, उत्कीर्ण लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रूचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं-

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,
(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,
(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने केलिए अपेक्षित हो, तथा
(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या परिशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक पुरातत्व अधीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है;

(ङ) "प्राधिकरण" से धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न या समतुल्य पंक्ति का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

परन्तु केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग,20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुर्ननिर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जल

निकास संकर्मों तथा सार्वजनिक शौचालयों- मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जल के प्रदाय का उपबंध करने के लिए आशयित संकर्मों का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत के प्रदाय और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए उपबंध नहीं हैं;]

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात= भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसे पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधापूर्ण पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक- उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तरवर्ती;

(ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूलरूप से बनाए रखना और खराब स्थिति को धीमा करना है;

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;]

(ढ) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(थ) "पुर्ननिर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी समान क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएँ हैं;

(द) "मरम्मत और नवीकरण" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुर्ननिर्माण नहीं होंगे।]

(2) यहां प्रयोग किए शब्द और अभिप्राय जो परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि

2.0 अधिनियम की पृष्ठभूमि:धरोहर उपविधियों- का उद्देश्य केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुर्ननिर्माण, मरम्मत अथवा नवीकरण की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.1 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 खंड 20ड. और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम (धरोहर उप-विधियों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) 2011, नियम 22 में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए उप- विधि बनाना विर्निदिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्ते तथा कार्य संचालन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप नियमों को अनुमोदन की प्रक्रिया विर्निदिष्ट है।

2.2 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियाँ (नियमों के अनुसार): प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, धारा 20ग,1958 में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और नवीकरण अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या नवीकरण के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है, जैसा भी स्थिति हो, ऐसी मरम्मत और नवीकरण को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण, अथवा पुननिर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण का कार्य कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुर्ननिर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदनकर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय -III

केंद्रीय संरक्षित स्मारक चौंसठ जोगिनी मंदिर का स्थान एवं अवस्थिति

3.0 स्मारक का स्थान एवं अवस्थिति:

- चौंसठ जोगिनी मंदिर जी.पी.एस. निर्देशांक **23°7' 47.04" उत्तरी अक्षांश एवं 79 ° 48' 4.90 पूर्वी देशांतर** में स्थित है।

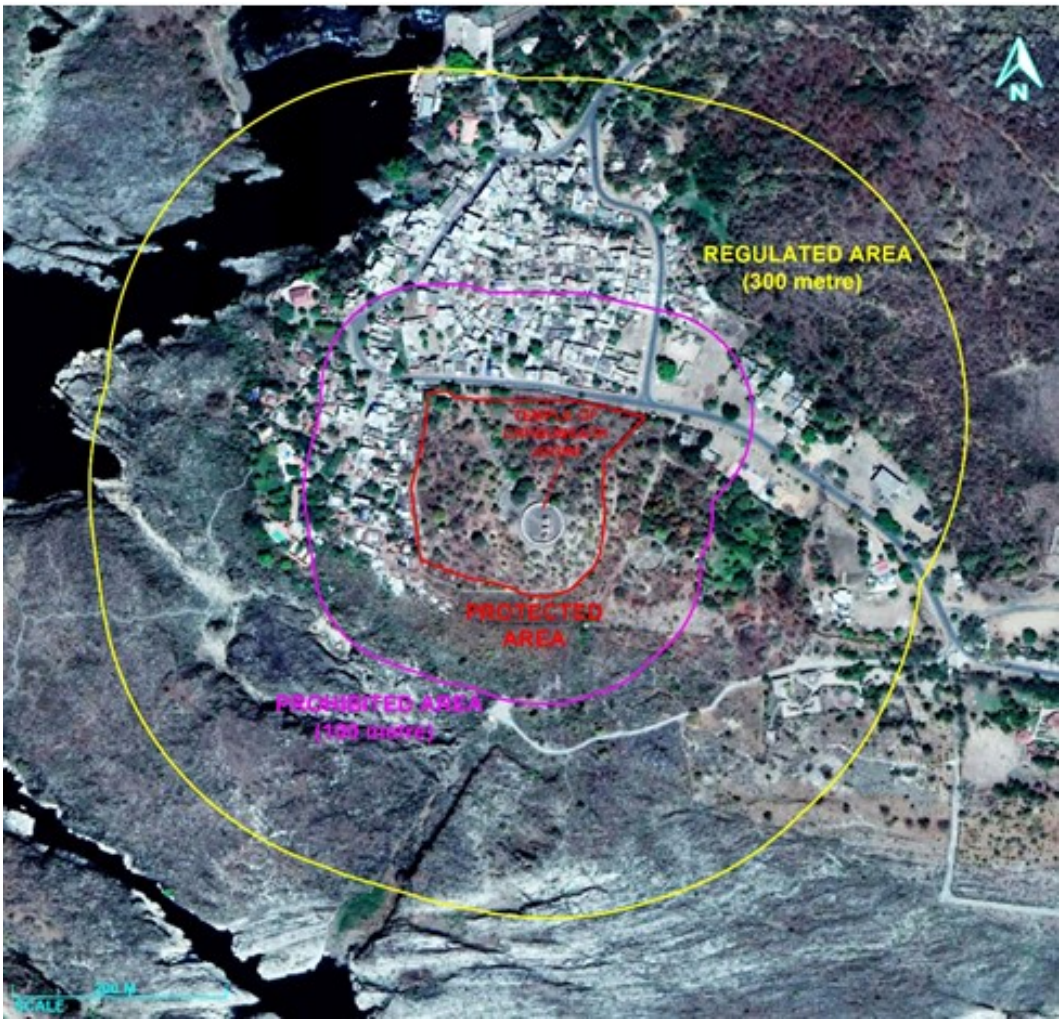

'चित्र 1. केंद्रीय संरक्षित स्मारक चौंसठ जोगिनी की अवस्थिति दर्शाता गूगल मानचित्र

- चौंसठ जोगिनी मंदिर जबलपुर जिले के एक छोटे से गाँव भेड़ाघाट में एक पहाड़ी पर स्थित है। लोकप्रिय पर्यटन आकर्षणों में से एक, यह नर्मदा नदी और इसकी सहायक भवनगंगा नदी के संगम और भेड़ाघाट में प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों "मार्बल रॉक्स"के पास स्थित है।
- निकटतम रेलवे स्टेशन भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन है जो 5.5 कि.मी. (स्टेशन रोड और भेड़ाघाट मुख्य सड़क से होकर) की दूरी पर स्थित है।
- निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर हवाई अड्डा (डुमना हवाई अड्डा) 33.3 किलोमीटर दूर मौजूद है।
- चौंसठ जोगिनी के मंदिर का स्थान संलग्नक- I पर देखा जा सकता है।

3.1 स्मारक की संरक्षित चारदीवारी:

केन्द्रीय संरक्षित स्मारक चौंसठ जोगिनी मंदिर की संरक्षित सीमाएं संलग्नक- II में देखी जा सकती है।

3.1.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र / योजना:

चौसठ जोगिनी के मंदिर का राजपत्र अधिसूचना संख्या है:

मध्य प्रांत (सेंट्रल प्रोविंस) गजट, 18 अप्रैल, 1925; संख्या C.72-A-B-358

[अधिसूचना की प्रति संलग्नक- III पर देखी जा सकती है]

3.2 स्मारक /स्थल का इतिहास:

जबलपुर क्षेत्र के सबसे पुराने धरोहर स्थलों में से एक, भेड़ाघाट का चौंसठ योगिनी मंदिर चट्टानी उच्च-स्थान पर 10 वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था, जो कि कल्चुरियों की पुरानी राजधानी तेवर (प्राचीन त्रिपुरी) से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में है। एक मत के अनुसार, कल्चुरि राजा, युवराजदेव-प्रथम (915-945 ई.) इसके निर्माता थे, जिसे गोलकीमठ के नाम से जाना जाता था। इसका नाम सीधे इस संरचना से संबंधित है, जिसमें योगिनियों की 64 प्रतिमाएँ हैं, अवधारणा अनुसार यह देवी माँ की स्त्री-परिचारिकाएँ हैं जो तांत्रिक योगियों द्वारा सिद्धि के लिये प्रसन्न की जाती हैं। गौरी- शंकर मंदिर नामक केंद्रीय मंदिर को घेरे हुए एक वृत्ताकार परिधि बनाने वाले कक्षों (प्रकोष्ठों) में इन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठापित किया गया है। अभलेखीय साक्ष्य के अनुसार, केंद्रीय मंदिर में नंदी,वृषभ, पर बैठे शिव-पार्वती की एक प्रतिमा, जिसका निर्माण कल्चुरी नरेश नरसिंह (1153-1163 ई.) की माता, अल्हनदेवी द्वारा लगभग 1155 ई. में किया गया था।

3.3 स्मारक का विवरण (वास्तुशिल्पीय विशेषताएँ, तत्व सामग्रियाँ आदि)

मंदिर परिसर 116 फीट के आंतरिक व्यास और 131 फीट के बाहरी व्यास के साथ वृत्ताकार योजनाबद्ध है। संपूर्ण परिसर एक मोटी दीवार से घिरा हुआ है, जो कि 81 छोटे कक्षों (प्रकोष्ठों) का पार्श्व बनाती है, जिनमें 64 योगिनियों और सप्त मातृकाओं की प्रतिमाएँ हैं। सपाट छत के आधार के रूप में अग्रभाग में 84 वर्गाकार स्तंभ तथा दीवार के साथ पार्श्व भाग में समसंख्यक भित्ति स्तंभ हैं, जो बाद के समय, संभवतया 12वीं शताब्दी ईस्वी के प्रतीत होते हैं। 81 कक्षों (प्रकोष्ठों) में से तीन प्रवेश द्वार के स्वरूप में हैं, जिनमें से दो पश्चिम में और एक दक्षिण-पूर्व में स्थित हैं । प्रत्येक कक्ष (प्रकोष्ठ) में, अन्य प्रतिमाओं के साथ-साथ, एक- एक योगिनी की प्रस्तर प्रतिमा स्थापित है।

चौंसठ योगिनी मंदिर के प्रांगण के अंदर, लेकिन केंद्र में नहीं, एक ऊँचे अधिष्ठान पर एक मंदिर स्थित है, जिसे गौरी-शंकर मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो कि प्रमाणत: 12 वीं शताब्दी ई. के मध्य में बनाया गया था। इसमें एक सप्तरथ (सात प्रक्षेपणों के साथ) बाहरी दीवारों पर आलों से युक्त गर्भगृह

है। इसमें तीन आमलक और कलश के शीर्ष पर एक स्तूपिका के साथ एक पिरामिड शिखर है। अंतराल के ऊपर गर्भगृह की छत के सामने एक कपिली (प्रक्षेपण) है। ये सभी बाद में परिवर्धित प्रतीत होते हैं। एक वर्गाकार स्तंभ-युक्त मंडप एक सपाट छत सहित खड़ा है, जो अर्धमण्डप से संलग्न है। मंडप के सामने की तरफ ऊपर की ओर छतरी जैसी गुमटी भी है। मंदिर से पृथक, सामने की ओर एक अन्य स्तंभनुमा संरचना है।

पूरा मंदिर स्थानीय ग्रेनाइट से निर्मित है, जिसमें वृषभारूढ़ गौरी-शंकर की एक प्रस्तर की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। प्रतिमा पर एक अभिलेख है जिसमें लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी की प्रारंभिक नागरी लिपि में वरेश्वर: पढ़ा गया है।

योगिनियों की प्रतिमाएँ उत्कृष्ट रूप से हरित-पीले बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। एवं लगभग दसवीं शताब्दी ईस्वी के अक्षरों में नामांकित हैं। हालांकि, गणेश और वीरभद्र के साथ नृत्यरत सप्त-मातृकाओं की प्रतिमाएँ लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं और लगभग दो शताब्दियों पूर्व के काल की प्रतीत होती हैं।

3.4 वर्तमान स्थिति

3.4.1 स्मारकों की स्थिति- स्थिति का आकलन:

स्मारक संरक्षण की अच्छी स्थिति में है और स्मारक परिसर के भीतर नियमित रखरखाव का काम आवश्यक है।

3.4.2 प्रतिदिन आने वाले और कभी-कभार एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या:

प्रतिदिन औसतन 100-200 आगंतुक आते हैं। इसके अलावा, नए साल पर और सप्ताहांत पर, लगभग 400-500 दर्शकों के लिए यह आगमन बढ़ता है। इसके अलावा, महा-शिवरात्रि और मकर-संक्रांति पर, आगमन बढ़कर 950-1000 तक हो जाता हैं।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में, विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.0 स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में विद्यमान क्षेत्रीकरण:

इस क्षेत्र के क्षेत्रीकरण के मौजूदा दिशा-निर्देश "भेड़ाघाट विकास योजना - 2021 (प्रारूप)", और "मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984, संशोधित 2012" के अनुसार हैं, दोनों मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनयम, 1973 (संख्या 23, वर्ष - 1973) के तहत परिभाषित हैं।

4.1 भेड़ाघाट विकास योजना -2021 (प्रारूप"(, और मध्य प्रदेश भूमि विकास" नियम 1984, संशोधित 2012" के अनुसार स्थानीय निकायों के वर्तमान दिशा-निर्देश)संलग्नक IV):

इसे संलग्नक- IV पर देखा जा सकता है

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकॉर्ड में निर्धारित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची, नियम 21 (1) / टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना।

5.0 चौंसठ जोगिनी मंदिर, जबलपुर की रूपरेखा

चौंसठ जोगिनी मंदिर की सर्वेक्षण योजना संलग्नक- II. में देखी जा सकती है।

5.1 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.1.1 प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र विवरण:

- स्मारक का कुल संरक्षित क्षेत्र 30197.865 वर्ग मीटर (7.462 एकड़) है।
- स्मारक का कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र 100938.887 वर्ग मीटर (24.942 एकड़) है।
- स्मारक का कुल विनियमित क्षेत्र 389809.045 वर्ग मीटर (96.324 एकड़) है।

मुख्य विशेषताएं:

- यह स्मारक एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है, जो इसके आसपास मौजूद आधुनिक और उपनगरीय बस्ती से अलग है। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अधिकांश भूमि हरित आवरणों के साथ मौजूद पहाड़ी इलाकों का हिस्सा है।
- तथा प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तर और पश्चिम दिशा में और विनियमित क्षेत्र की उत्तर दिशा में पर्याप्त आधुनिक/उप-बसावट हुई है।
- स्मा रक के आसपास के क्षेत्र में कई निवास, दुकानें, होटल, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक भवन और धार्मिक संरचनाएं मौजूद हैं। जबकि, हरित/वन क्षेत्र का एक भूखंड विनियमित क्षेत्र के उत्तर-पूर्व दिशा में भी मौजूद है एवं उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण दिशाएँ नर्मदा नदी और उसके किनारों द्वारा घिरी हैं।

5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर**- दुकानें, निवास, कुछ होटल एवं मंदिर इस दिशा में मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर- पूर्व दिशा में एक स्कूल, एक कब्रिस्तान और सार्वजनिक शौचालय भी अवस्थित हैं।
- **दक्षिण**- इस दिशा में कोई संरचना अवस्थित नहीं है, सिवाय दक्षिण-पश्चिम दिशा में जहां कुछ निवास अवस्थित हैं।
- **पूर्व**- इस दिशा में पंडित दीनदयाल पार्क में कुछ इमारतें अवस्थित हैं।
- **पश्चिम**- निवास, दुकानें और मध्य प्रदेश पर्यटन होटल इस दिशा में अवस्थित हैं। कुछ मंदिर और इमारतें उत्तर-पश्चिम दिशा में भी अवस्थित हैं।

विनियमित क्षेत्र

- **उत्तर**- निवास, दुकानें, होटल, मंदिर, अस्थायी गुमटियॉं, ए.टी.एम. और घाट इस दिशा में अवस्थित हैं। इसके अलावा, कुछ निवास और दुकानें उत्तर-पूर्व दिशा में अवस्थित हैं।
- **दक्षिण-** इस दिशा में कोई इमारत अवस्थित नहीं है।
- **पूर्व-** निवास, दुकानें, एक बैंक, नगर पंचायत कार्यालय, डाकघर, पंडित दीनदयाल पार्क के परिसर में एक भवन इस दिशा में अवस्थित हैं। एक होटल/ रिसॉर्ट दक्षिण-पूर्व दिशा में भी अवस्थित है।
- **पश्चिम-** निवास, दुकानें, मध्य प्रदेश पर्यटन होटल और एक लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह इस दिशा में अवस्थित हैं।

5.1.3 हरित/खुले क्षेत्रों का वर्णन

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर:** एक कब्रिस्तान के परिसर में और निर्मित इमारतों के बीच में खुले स्थान अनिर्मित भूमि के रूप में अवस्थित हैं।
- **दक्षिण:** इस दिशा में पहाड़ी के अवरोहण भाग के रूप में अधिकतर खुली चट्टानी भूमि अवस्थित है।
- **पूर्व:** हरित आवरण के साथ अधिकतर खुली चट्टानी भूमि पहाड़ी के अवरोहण के भाग के रूप में अवस्थित है और इस दिशा में पंडित दीनदयाल पार्क में कुछ खुली भूमि भी अवस्थित है।

- **पश्चिम:** मध्य प्रदेश पर्यटन होटल के परिसर में एक खुले क्षेत्र के अतिरिक्त निर्मित इमारतों के बीच बहुत कम खुले स्थान अवस्थित हैं।

विनियमित क्षेत्र

- **उत्तर-** उत्तर-पश्चिम दिशा में घाट के रूप में नर्मदा नदी के किनारे पर खुले स्थान अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्व दिशा में, खुली भूमि हरे/वन क्षेत्र से आच्छादित है।

- **दक्षिण:** नर्मदा नदी के किनारे के हिस्से के रूप में अधिकतर खुली चट्टानी भूमि इस दिशा में अवस्थित है।

- **पूर्व:** कुछ अनिर्मित क्षेत्र के साथ अधिकतर खुली चट्टानी भूमि इस दिशा में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त, कुछ खुली भूमि पंडित दीनदयाल पार्क में एक होटल/ रिसॉर्ट के परिसर में अवस्थित है, और हरित/वन क्षेत्र के अंतर्गत आवरित है।

- **पश्चिम:** नर्मदा नदी के किनारे के हिस्से के रूप में ज्यादातर खुली चट्टानी भूमि इस दिशा में अवस्थित है।

5.1.4 परिसंचरण के अंर्तनिहित आवृत्त क्षेत्र- सड़क, पैदल पथ आदि।

कई स्थानीय सड़कें, पक्की और कच्ची दोनों, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में अवस्थित हैं। लगभग 15541.81 वर्गमीटर भूमि का क्षेत्रफल इन सड़कों के अंतर्गत आता है। इसके अतिरक्त, स्मारक के संरक्षित क्षेत्र के भीतर, पहाड़ी पर संकरी सीढ़ियाँ अवस्थित हैं, जिन्हें स्मारक तक पहुँच मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। आगंतुकों के लिए परिसर में उचित रूप से लगाय गय पत्थरों का परिक्रमा पथ भी अवस्थित हैं।

5.1.5 भवनों की ऊँचाई (क्षेत्रवार)

- **उत्तर:** अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर है।
- **दक्षिण:** कोई इमारत अवस्थित नहीं है।
- **पूर्व:** अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर है
- **पश्चिम:** अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर है

5.1.6 राज्य के संरक्षित स्मारकों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र में सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों, तो:

स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में कोई राज्य संरक्षित स्मारक या कोई अन्य संरक्षित स्मारक अवस्थित नहीं है।

5.1.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

स्थल पर पेयजल, शौचालय, संरक्षण सूचना पटल और सांस्कृतिक सूचना पटल उपलब्ध हैं। स्मारक में सीढ़ियों के साथ पत्थर के पक्के रास्ते भी अवस्थित हैं।

5.1.8 स्मारक तक पहुंच:

मंदिर के उत्तर-पश्चिम दिशा में एक संकरा सीढ़ीनुमा चढ़ाई वाला मार्ग अवस्थित है जो आने-जाने वालों को पैदल यात्रा मुहैया कराता है, जो स्थानीय शहर की सड़क –पंचवटी उद्यान सड़क से जुड़ता है क्योंकि मंदिर चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है।

5.1.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (पानी की आपूर्ति, तूफान जल निकासी, मल प्रवाह पद्धति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि)।

स्मारक में केवल पानी की आपूर्ति और जल निकासी उपलब्ध है।

5.1.10 प्रस्तावित क्षेत्रीकरण (स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र):

भेड़ाघाट विकास योजना-2021 (प्रारूप) के अनुसार, स्मारक का क्षेत्र "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों" के अंतर्गत रखा गया है। इस क्षेत्र के क्षेत्रीकरण के विद्यमान दिशानिर्देश "भेड़ाघाट विकास योजना - 2021 (प्रारूप)", एवं "मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984, संशोधित 2012" के अनुसार हैं, दोनों को मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनयम, 1973 (संख्या 23, वर्ष -1973) के तहत परिभाषित किया गया है।

अध्याय VI

स्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व

6.0 वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

भेड़ाघाट के चौंसठ जोगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी ईस्वी में कलचुरी वंश के शासन काल में कलचुरी राजा युवराजदेव-प्रथम (लगभग 915-945 ई.) द्वारा किय गया माना जाता है। मंदिर का नाम सीधे तौर पर योगिनियों की 64 प्रतिमाओं से व्युतपन्न है, जो मान्यता अनुसार देवी माँ की स्त्री-

परिचारिकाएँ हैं जो तांत्रिक योगियों द्वारा सिद्धि के लिये प्रसन्न की जाती हैं। अभिलेखीय प्रमाणों के अनुसार, गौरी शंकर मंदिर के रूप में जाना जाने वाला केंद्रीय मंदिर, जिसमें शिव-पार्वती की नंदी (बैल) पैर बैठी प्रतिमा स्थापित है, का निर्माण कल्चुरि सम्राट नरसिंह (1153-1163 ईस्वी) की माता अल्हनदेवी द्वारा लगभग 1155 ई. में किया गया था। योगिनियों की मूर्ति के साथ देवताओं की नक्काशीदार मूर्तियाँ कल्चुरी काल की अप्रतिम कला को दर्शाती हैं।

यह भारत का सबसे बड़ा योगिनी मंदिर है और इसमें आंतरिक व्यास 116 फीट और बाहरी व्यास 131 फीट की एक गोलाकार संरचना है। घेरा 84 समान कक्षों (प्रकोष्ठों) में बॉटा गया है, जिसमें से तीन प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं। दक्षिण- पश्चिम में प्रवेश द्वार पर एक कक्ष है जबकि दक्षिण पूर्व में दो संलग्न कक्ष (प्रकोष्ठ) हैं। मंदिर का गर्भगृह कल्चुरी काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

6.1 स्मारकों की संवेदनशीलता (जैसे विकासात्मक दबाव, नगरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि)।

यह स्मारक एक चट्टानी पहाड़ी पर एवं नर्मदा नदी के निकट में प्राकृतिक बसावट में स्थित है, इसलिए, मंदिर का संरक्षित क्षेत्र शहरीकरण से कम प्रभावित हुआ है। हालांकि, स्मारक का प्रतिषिद्ध क्षेत्र विशेष रूप से उत्तर और पश्चिम दिशाओं में आधुनिक निर्माणों से घिरा हुआ है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में स्मारक के विनियमित क्षेत्र में वन क्षेत्र के रूप में और नर्मदा नदी के किनारे के हिस्से के रूप में खुली भूमि है। तेजी से विकास और शहरीकरण के कारण स्मारक का प्रतिवेश अतिक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है।

6.2 संरक्षित स्मारकों अथवा क्षेत्र से दृश्य एवं विनियमित क्षेत्र से दिखाई देने वाला दृश्य:

स्मारक एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए, आसपास के अधिकांश क्षेत्र स्मारक से दिखाई देते हैं और स्मारक स्वयं आसपास के क्षेत्रों से दिखाई देता है।

6.3 पहचान किये जाने वाले भू-उपयोग:

स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में अधिकांश इमारतें आवासीय और वाणिज्यिक हैं। उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में खुले सार्वजनिक स्थानों के साथ कई धार्मिक और सार्वजनिक संरचनाएँ भी अवस्थित हैं। वन भूमि का एक भाग और नर्मदा नदी का तट स्मारक के विनियमित क्षेत्र में स्थित है।

6.4 संरक्षित स्मारकों के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

स्मारक के आसपास कोई पुरातात्विक धरोहर अवस्थित नहीं है।

6.5 सांस्कृतिक भूदृश्य:

चट्टानी पहाड़ी, नर्मदा नदी और उसके किनारे, वन भूमि और स्मारक के विनियमित क्षेत्र में पहाड़ी इलाके स्मारक के सांस्कृतिक भूदृश्य के विभिन्न तत्वों का निर्माण करते हैं।

6.6 महत्वपूर्ण प्राकृतिक भूदृश्य जो सांस्कृतिक भूदृश्य का हिस्सा हैं एवं स्मारकों को पर्यावरण प्रदूषण से संरक्षित करने में सहायक हैं:

स्मारक के चारों ओर प्राकृतिक परिदृश्य के तत्व पहाड़ी क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र के पूर्व और दक्षिण दिशाओं में और विनियमित क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में नर्मदा नदी हैं। इन दिशाओं में, इन प्राकृतिक विशेषताओं ने बेतरतीब निर्माण गतिविधि को रोक दिया है और स्मारक के प्राकृतिक भूदृश्य की सुरक्षा की है। हालांकि, प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तर एवं पश्चिम दिशाओं में तथा विनियमित क्षेत्र के उत्तर दिशा में स्मारक का प्राकृतिक परिदृश्य शहरीकरण के कारण अतिक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील है।

6.7 खुले स्थान तथा निर्मित स्थान का उपयोग:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तर और पश्चिम दिशाओं में, भूमि का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। कई सार्वजनिक और धार्मिक स्थान भी इन दिशाओं में अवस्थित हैं। स्मारक के पूर्व और दक्षिण दिशाओं की ओर प्रतिषिद्ध क्षेत्र खुला पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण हरित आवरण से ढँका है।

स्मारक के विनियमित क्षेत्र में, सार्वजनिक पार्क, अनिर्मित भूमि और वन भूमि के रूप में खुले स्थान अवस्थित हैं। नर्मदा नदी विनियमित क्षेत्र में स्मारक के पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा में है।

6.8 परंपरागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

महा-शिवरात्रि और मकर-संक्रांति के अवसर पर कई लोग देवी- देवताओं की पूजा करने के लिए मंदिर के दर्शन करते हैं।

6.9 स्मारकों एवं विनियिमत क्षेत्रों से दृश्यमान क्षितिज:

स्मारक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जो क्षेत्र के क्षितिज पर प्रभुत्व रखता है। नर्मदा नदी और ग्रामीण क्षेत्र के मनोरम दृश्य भी स्मारक से दिखाई देते हैं।

6.10 स्थानीय स्थापत्य:

स्मारक के आसपास के क्षेत्र में विद्यमान स्थानीय स्थापत्य की कोई विशेषताएँ नहीं है।

6.11 स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध विकासात्मक योजना:

भेड़ाघाट विकास योजना - 2021 (प्रारूप) संलग्नक- V पर देखा जा सकता है।

6.12 भवन संबंधी मापदंड:

(क) स्थल पर निर्माण की ऊंचाई (कुल मिलाकर):
स्मारक के विनियमित क्षेत्र में सभी भवनों की ऊंचाई 9 मीटर तक सीमित रहेगी।

(ख) तल क्षेत्र: तल क्षेत्र अनुपात स्थानीय भवन उप-विधयों के अनुसार होगा।

(ग) उपयोग: - स्थानीय भवन उप-विधियों के अनुसार।

(घ) अग्रभाग की रचना: -

- अग्रभाग का स्मारक के परिवेश से मेल खाना चाहिए।
- सामने की सड़क अथवा सीढ़ियों के कूपक (शैफ्ट) के किनारे –किनारे फ्रेंच दरवाजे और बड़े कॉच के अग्रभाग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ड.) छत की रचना: -

- क्षेत्र में केवल सपाट छत की रचना (डिजाईन) को अपनाया जायगा।
- भवनों की छतों पर संरचनाओं, यहां तक कि अस्थायी सामग्री जैसे एल्यूमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉली कार्बोनेट या सदृश्य सामग्री का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
- छत पर अवस्थित सभी उपकरण जैसे बड़ी वातानुकूलन इकाईयों, पानी की टंकियों अथवा बड़े जेनरेटर को दीवारों के आवरण (ईंट/सीमेंट शीट आदि) का उपयोग कर ढँका जाएगा।

(च) **भवन सामग्री :**

- स्मारक के सामने सभी सड़कों के किनारे-किनारे अवस्थित अग्रभागों में सामग्री और रंग में समरूपता।

- बाहरी परिष्करण के लिए आधुनिक सामग्री जैसे एलुमिनियम का आवरण,सीसे की ईंटे और किसी अन्य रासायनिक टाइल या सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- परंपरागत सामग्री जैसे ईंट, और पत्थर का उपयोग किया जाना चाहिए।

(छ) रंग-: बाहर का रंग, स्मारक के अनुरूप हल्के रंग का उपयोग ही किया जाना चाहिए।

6.13 आगंतुक सुविधाएं और साधन:

स्थल पर आगंतुक सुविधाएं और साधन जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन, प्रसाधन, निर्वचन केन्द्र, जलपान गृह, पेयजल, स्मारिका दुकान, द्रश्य-श्रव्य- केन्द्र रैंप, वाई-फाई और ब्रेल(लिपि) उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्याय-VII
स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट संस्तुतियॉं

(क) इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक)

- भवन के सामने का किनारा, अवस्थित सड़क की सीध में ही होना चाहिए।न्यूनतम स्थान की आवश्यकता की आपूर्ति भवन के चारों तरफ छोड़े गय क्षेत्र (सेटबैक) अथवा प्रांगण एवं चबूतरों से की जानी चाहिये।

(ख) प्रक्षेपण

- सड़क के 'निर्बाध' रास्ते से आगे भूमि स्तर पर अधिकृत रास्ते में किसी सीढ़ी या पीठिका की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़कों को विद्यमान भवन के किनारे की रेखा के आयामों से 'निर्बाध' जोड़ा जाएगा।

(ग) संकेतक

- धरोहर क्षेत्र में संकेतकों के उपयोग के लिये एल. ई. डी. अथवा डिजिटल संकेत,प्लास्टिक फाइबर ग्लास अथवा किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक कृत्रिम (सिंथेटिक) सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। विज्ञापन-ध्वजों की अनुमति नहीं दी जाए, किंतु विशेष आयोजनों/ मेलों आदि के लिए इन्हें तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जाए। धरोहर क्षेत्र के भीतर पट विज्ञापन (होर्डिंग), पर्चे के रूप में कोई विज्ञापन अनुमत नहीं होगा।

- संकेतकों को इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि वे किसी भी धरोहर संरचना या स्मारक के दृश्य को अवरुद्ध न करें और एक पैदल यात्री की ओर उन्मुख हों।
- फेरीवालों और विक्रेताओं को स्मारक की परिधि पर अनुमति नहीं दी जाए।

7.2 अन्य संस्तुतियाँ

- गहन जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पोलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rules, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument "Temple of Chaunsath Jogini, Jabalpur", prepared by the Competent Authority and in consultation with the School of Planning and Architecture, Bhopal, were published on 28.07.2020, as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (5) of the section 20 (E) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 the National Monuments Authority, hereby make the following bye-laws namely:-

Heritage Bye-Laws
CHAPTER I
PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws 2020 of Centrally Protected Monument Temple of Chaunsath Jogini, Jabalpur.

(ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.

(iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.1 Definitions: -

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) The remains of an ancient monument,
(ii) The site of an ancient monument,
(iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
(iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
(ii) The means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public

latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;
FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means The Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and
(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing condition and retarding deterioration.

(m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B;

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological sites and remains (AMASR) Act, 1958

2. Background of the Act:- The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws: The AMASR Act, 1958, Section 20E and Rule 22 of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.2 Rights and Responsibilities of Applicant: Section 20C of the AMASR Acr 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Centrally Protected Monument – Temple of Chaunsath Jogini, Jabalpur.

3.0 Location and Setting of the Monument:-

- Temple of Chaunsath Jogini, Jabalpur is located at **Lat. 23° 7'47.04"N; Long. 79°48'4.90 E** GPS Coordinates.

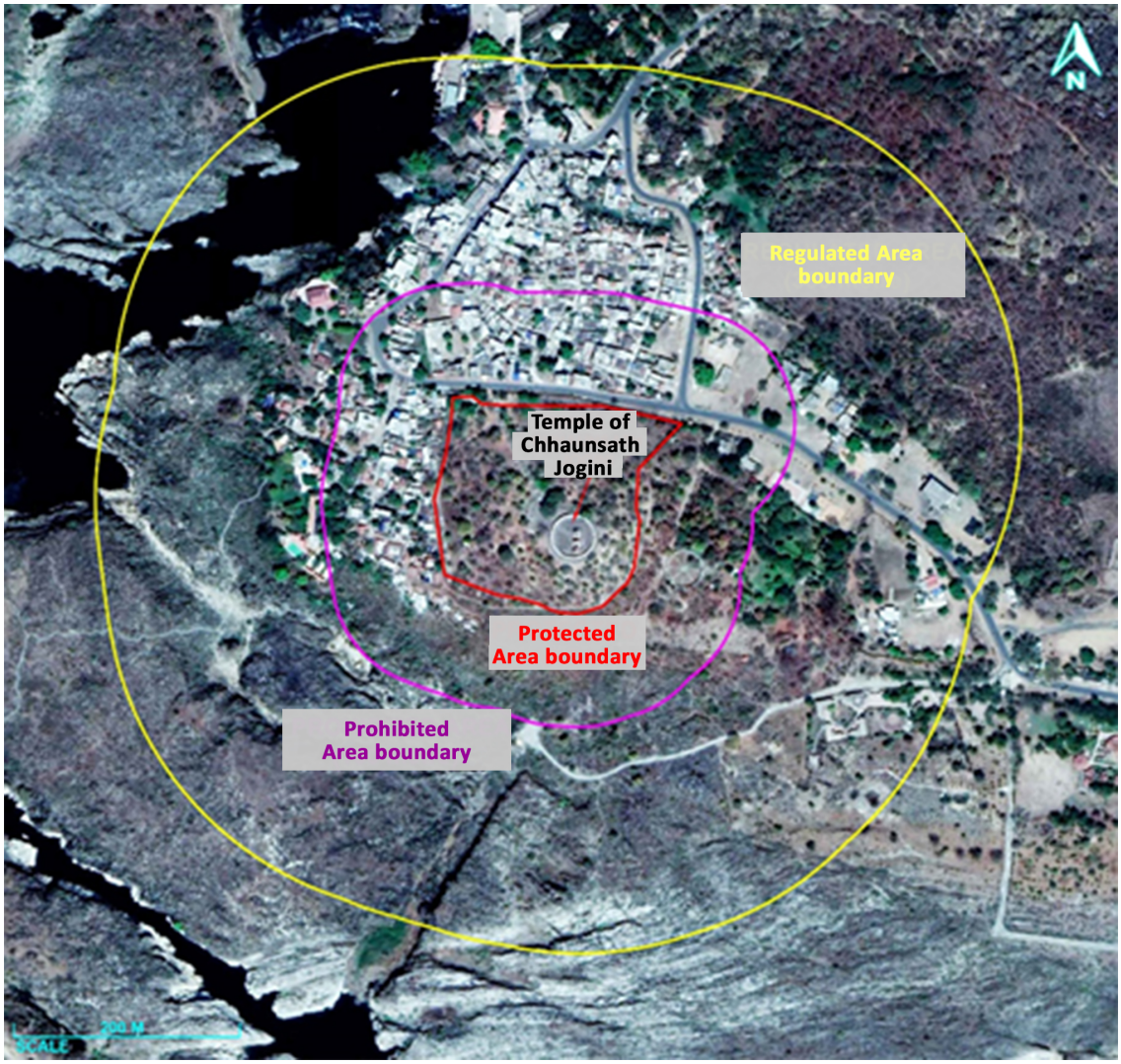

'Fig 1, Google map showing location of Centrally Protected Monument –Temple of Chaunsath Jogini

- The Chaunsath Jogini temple is situated on a hilltop, in a small village Bhedaghat of the Jabalpur district. One of the popular tourist attractions, it is located near the confluence of the river Narmada and its tributary Bawanganga and the famous Marble Rocks in Bhedaghat.
- The nearest railway station is the Bhedaghat Railway Station situated at a distance of 5.5kms (via Station road and Bhedaghat Main road).
- The nearest airport is the Jabalpur Airport (Dumna Airport) located 33.3 kms away.
- The location of the temple of Chaunsath Jogini may be seen at Annexure –I.

3.1 Protected boundary of the Monument:

The protected boundaries of the Centrally Protected Monument- temple of Chaunsath Jogini may be seen at Annexure-II.

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Gazette Notification number of temple of Chaunsath Jogini is:

The Central Provinces Gazette, April 18, 1925; No C.72-A-B-358.

[The copy of the notification may be seen at Annexure-III]

3.2 History of the Monument:

One of the oldest heritage sites of Jabalpur region, the Chaunsath Yogini temple of Bhedaghat was built on a rocky eminence in 10th century C.E.., about 10 km south of Tewar (ancient Tripuri), the old capital of the Kalachuris. According to one view, the Kalachuri king, Yuvarājadeva-I (c. 915-945 C.E..) got it constructed and that it was known as Golakimatha. Its name is directly related to the structure that has 64 images of Yoginis, believed to be the female attendants of the Mother Goddess propitiated by Tantrik Yogis. The images are enshrined in the cells forming a circular periphery enclosing a central temple called Gauri Shankar Temple. As per the inscriptional evidence, the central temple housing an image of Shiva the Parvati seated on Nandi, the bull, was constructed around 1155 C.E.. by Alhanadevi, the mother of Kalachuri monarch Narasimha (1153-1163 C.E..).

3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materials, etc.):

The Temple Complex is circular in plan with an inner diameter of 116 feet and an outer diameter of 131 feet. The entire complex is enclosed with a thick wall forming the back of 81 small cells having images of 64 Yoginis and seven Matrikas. There are 84 square pillars in front and equal number of pilasters against the back wall to support the flat roof which appears to be a later addition, probably of the 12th Century C.E.. Of the 81 cells, three form the entrances, two of them located in the west and one on the south-east. Each of the cells indivisually holds inter-alia a stone image of a Jogini.

Inside the courtyard of the Chaunsath Jogini temple, but not in the centre, stands a temple on a raised platform known as Gauri-Shankara Temple, evidently built in the middle of the 12th Century C.E. It has a *saptaratha* (with seven projections) sanctum with niches on the outer walls. It has a pyramidal *sikhara* with a finial at the top comprising of three *āmalakas* and *kalaśa*. There is a *kapili* (projection) in front of the sanctum's roof over the vestibule. All of these appear to be later additions. A square pillared *mandapa* with a flat roof stands in front, joined to the vestibule. The front of *mandapa* also has a kiosk like chhatri on the top. Detached from the temple, is another pillared structure in the front of a later time.

The entire temple is constructed of local granite, enshrines a stone image of Gauri Shankara seated on a bull. The image has an inscription that reads *Varesvarah* in the early Nagari script of C.12th Century C.E.

The images of the Yoginis are exquisitely carved out of greenish-yellow sandstone and are labelled in the characters of C.10th Century C.E.. However, the images of dancing *sapta-matrikas* alongwith Ganesa and Virabhadra are made of red sandstone and appear to be earlier in date by about two centuries.

3.4 CURRENT STATUS

3.4.1 Condition of the Monument- condition assessment:

The monument is in a good state of preservation and routine maintenance work is required within the monument premises.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

Average footfall is 100-200 visitors per day. Further, on the New Year and on weekends, the footfall increases to about 400-500 visitors. Also, on the Maha-Shivratri and Makar-Sankranti, the foot fall goes up to 950-1000 visitors.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0 Existing zoning:

The existing guidelines of zoning of this area is as per "Bhedaghat Development Plan – 2021 (Draft)", and "Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam 1984, revised 2012", both defined under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23, Year - 1973).

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at Annexure-IV

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour Plan of the Temple of Chaunsath Jogini, Jabalpur

Survey Plan of Chaunsath Jogini temple may be seen at Annexure- II.

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

- Total Protected Area of the monuments is 30197.865 Sqm (7.462 Acres).
- Total Prohibited Area of the monuments is 100938.887 Sqm (24.942Acres).
- Total Regulated Area of the monuments is 389809.045 Sqm (96.324 Acres).

Salient Features:

- The monument is situated on a rocky hill, separated from the modern and suburban settlement present around it. Most of the land under the Prohibited and Regulated Area is part of the hilly terrain present with green covers.
- Further, in the north and west direction of the Prohibited Area and north direction of the Regulated Area, a good amount of modern/ sub-urban settlement have occurred.
- Many Residences, shops, hotels, government offices, public buildings, and religious structures are present in the vicinity of the monument. While, a patch of green/forest area is also present in the north-east direction of the Regulated Area and by river Narmada and its banks are in the the north-west, west and south directions are occupied.

5.1.2 Description of built up area

Prohibited Area

- **North**- Shops, residences, some hotels and temples are present in this direction. Moreover, in the north-east direction a school, a graveyard and public toilets are also present
- **South**- No structures are present in this direction, except in the south-west direction where some residences are present.
- **East-** Some buildings are present in Pandit Deendayal Park in this direction.
- **West**- Residences, shops and a Madhya Pradesh Tourism hotel are present in this direction. Some temples and buildings are also present in the north-west direction.

Regulated Area

- **North**- Residences, shops, hotels, temples, temporary kiosks, ATM, and ghats are present in this direction. Also, some residences and shops are present in the north-east direction.
- **South**- No buildings are present in this direction.
- **East**- Residences, shops, a bank, Nagar Panchayat office, post office, a building in premises of Pandit Deendayal Park are present in this direction. A hotel/resort is also present in the south-east direction.
- **West**- Residences, shops, Madhya Pradesh Tourism hotel and a PWD rest house are present in this direction

5.1.3 Description of green/open spaces

Prohibited Area

- **North**: Open spaces are present in form of unconstructed land at the premises of a graveyard and in between of the constructed buildings.
- **South:** Mostly open rocky land is present as a part of hill's descent in this direction.
- **East:** Mostly open rocky land along with green covers is present as a part of hill's descent and some open land is also present in Pandit Deendayal Park in this direction.
- **West:** Rarely open spaces are present in between the constructed buildings apart from an open area int the premises of MP Tourism hotel.

Regulated Area

- **North**- Open spaces are present at the bank of river Narmada in form of ghat in the north-west direction. Also, in the north-east direction, open barren land is present covered with green/forest area.
- **South:** Mostly open rocky land as a part of Narmada River's bank is present in this

direction.

- **East:** Mostly open rocky land with some unconstructed area is present in this direction. Also, some open land is present at the premises of a hotel/resort, in Pandit Deendayal Park and covered under green/forest area.
- **West:** Mostly open rocky land as a part of Narmada River's bank is present in this direction.

5.1.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.

Many local roads, both metalled and earthen are present in the north, east and west directions of Prohibited and Regulated Areas. Approx. 15541.81 sqm area of land is covered under these roads. Further, inside the Protected Area of the monument, narrow stairs are present on the hill which are used as an access path to the monument. Proper stone paved circumambulation pathways are also present at the premises for visitors.

5.1.5 Heights of buildings (Zone wise)

- **North**: Maximum height is 7.5m.
- **South:** No buildings are present.
- **East**: Maximum height is 7.5m
- **West**: Maximum height is 7.5m

5.1.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

There is no state protected monument or any other protected monument present in the Prohibited and Regulated Areas of the monument.

5.1.7 Public amenities:

Drinking water, toilets, Protection Notice Board and Cultural Notice Board are available at site. Stone paved pathways with stairs are also present at the monument.

5.1.8 Access to monument:

A narrow stepped-climbing pathway is present in the north-west direction of the temple providing pedestrian movement to the visitors which connects to the local city road – Panchvati Garden Road as the temple is located on a rocky hill.

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

Only water supply and drainage are available at the monument.

5.1.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

As per the Bhedaghat Development Plan – 2021 (Draft), the area of the monument is placed under the **"Public and Semi-public spaces"**. The existing guidelines of zoning of this area are as per "Bhedaghat Development Plan – 2021 (Draft)", and "Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam 1984, revised 2012", both defined under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23, Year - 1973).

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monument.

6.0 Architectural, historical and archaeological value:

The Chaunsath Jogini temple of Bhedaghat is said to be constructed in the 10th century A.D. during the rule of the Kalchuri dynasty by the Kalachuri king Yuvarājadeva-I (c. 915-945 A.D.). The temple derives its name directly from the 64 images of Yoginis believed to be the female attendants of the Mother Goddess propitiated by Tantrik Yogis. As per the inscriptional evidence, the central temple known as Gauri Shankar temple has an image of Shiva- Parvati seated on Nandi, the bull, was constructed around 1155 A.D. by Alhanadevi, the mother of Kalachuri monarch Narasimha (1153-1163 A.D.). The carved idols of the deities along with the statue of Yoginis show the unmatched art of the Kalchuri period.

It is the largest Yogini Temple in India and consists of a circular structure of inner diameter 116 feet and outer diameter 131 feet. The circle is broken down in 84 equal cells, out of which three serves as gateways. The gateway on the south – west consists of one cells while the one on the south – east consists of two adjoining cells. The sanctum of the temple provides an excellent example of the Kalchuri period architecture.

6.1 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

The monument is located in a natural setting on a rocky hill and in close proximity to the Narmada river, therefore, the Protected Area of the temple is less affected by urbanisation. However, the Prohibited Area of the monument is surrounded by modern constructions especially in north and west directions. The Regulated Area of the monument in the east, west and south directions have open land as part of the forest area and as a part of the bank of river Narmada. Due to rapid development and urbanization, the surroundings of the monument have become more sensitive towards encroachment.

6.2 Visibility from the Protected Monument or Area and visibility from Regulated Area:

The monument is located on a rocky hill, therefore, majority of the surrounding areas are visible from the monument and the monument itself is visible from the surrounding areas.

6.3 Land-use to be identified:

The majority of the buildings in the Prohibited and Regulated Area of the monument are residential and commercial. Many religious and public structures along with open public spaces in the north, east and west directions are also present. A part of the forest land and the bank of river Narmada lie in the Regulated Area of the monument.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

No archaeological heritage remains are present in the vicinity of the monument.

6.5 Cultural landscapes:

The monument is a prt of the Narmada Parikrama path which is from Amarkantak till Maheshwar.

6.6 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also help in protecting monuments from environmental pollution:

The elements of natural landscape around the monument are the hilly terrain and the river Narmada in east and south directions of the Prohibited Area and in the east, west and south directions of the Regulated Area. In these directions, these natural features have inhibited haphazard construction activity and safeguarding the natural landscape of the monument. However, in north and west directions of the Prohibited Area and in north direction of the Regulated Area the natural landscape of the monument is more sensitive towards encroachment due to urbanisation.

6.7 Usage of open space and constructions:

In the north and west directions of the Prohibited Area, the land is used for residential and commercial purposes. Many public and religious spaces are also present in these directions. The Prohibited area towards the east and the south directions of the monument is comparitively open with green covers due to hilly terrain.

In the Regulated Area of the monument, the open spaces are present in form of public parks, unconstructed land and forest land. River Narmada is in the west and north-west direction of the monument in the Regulated Area.

6.8 Traditional, historical and cultural activities:

On the occasion of Maha-Shivratri and Makar-Sankranti many people visit temple to worship the deities.

6.9 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

The monument is situated at the top of the hill which dominates the skyline of the area. Panoramic views of the river Narmada and countryside are also visible from the monument.

6.10 Traditional Architecture:

There are no exampless of traditional architecture existing in the surrounding of the monument.

6.11 Developmental plan, as available, by the local authorities:

Bhedaghat Development Plan – 2021 (Draft) may be seen at Annexure-V.

6.12 Building related parameters:

(a) Height of the construction on the site: The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 9mtr inclusive of roof top structures like mumty, parapet etc.

(b) Floor area: FAR will be as per local building bye-laws.

(c) Usage:- As per local building bye-laws with no change in land-use.

(d) Façade design:-

- The façade design should match the ambience of the monument.
- French doors and large glass façades along the front street or along staircase shafts will not be permitted.

(e) Roof design:-

- Only flat roof design in the area is to be followed
- Structures, even using using temporary materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials will not be permitted on the roof of the building.
- All services such as large air conditioning units, water tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets etc). All of these services must be included in the maximum permissible height.

(f) Building material: -

- Consistency in materials and color along all street façades of the monument.

- Modern materials such as aluminum cladding, glass bricks, and any other synthetic tiles or materials will not be permitted for exterior finishes.
- Traditional materials such as brick and stone should be used.

(g) Colour: - The exterior colour must be of a neutral tone in harmony with the monuments.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, light and sound show, toilets, interpretation centre, cafeteria, drinking water, souvenir shop, audio visual centre, ramp, wi-fi and braille should be available at site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations.

a) Setbacks

- The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections

- No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the 'obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the 'obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages

- LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted; but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2 Other recommendations

- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.

संलग्नक
ANNEXURES

संलग्नक I
ANNEXURE - I

चौंसठ जोगिनी मंदिर की अवस्थिति
Location of Temple of Chaunsath Jogini

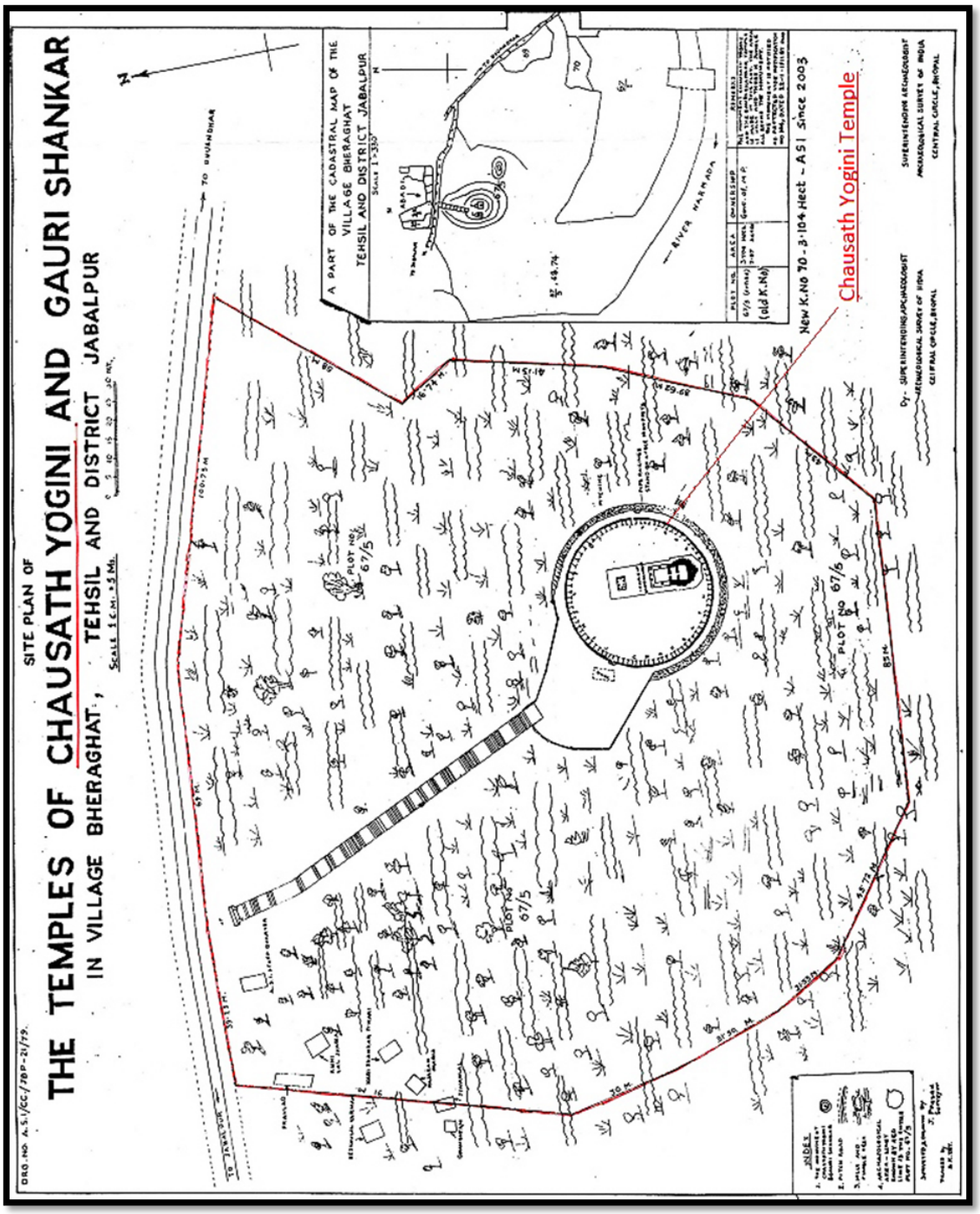

संलग्नक – II
ANNEXURE – II

चौंसठ जोगिनी मंदिर की सर्वेक्षण योजना

Survey Plan of Temple of Chaunsath Jogini

संलग्नक – II

ANNEXURE – II

TOPOGRAPHICAL SURVEY PLAN OF TEMPLE OF CHAUSATH YOGINI (BHEDAGHAT)

DISTRICT -JABALPUR (MADHYA PRADESH)

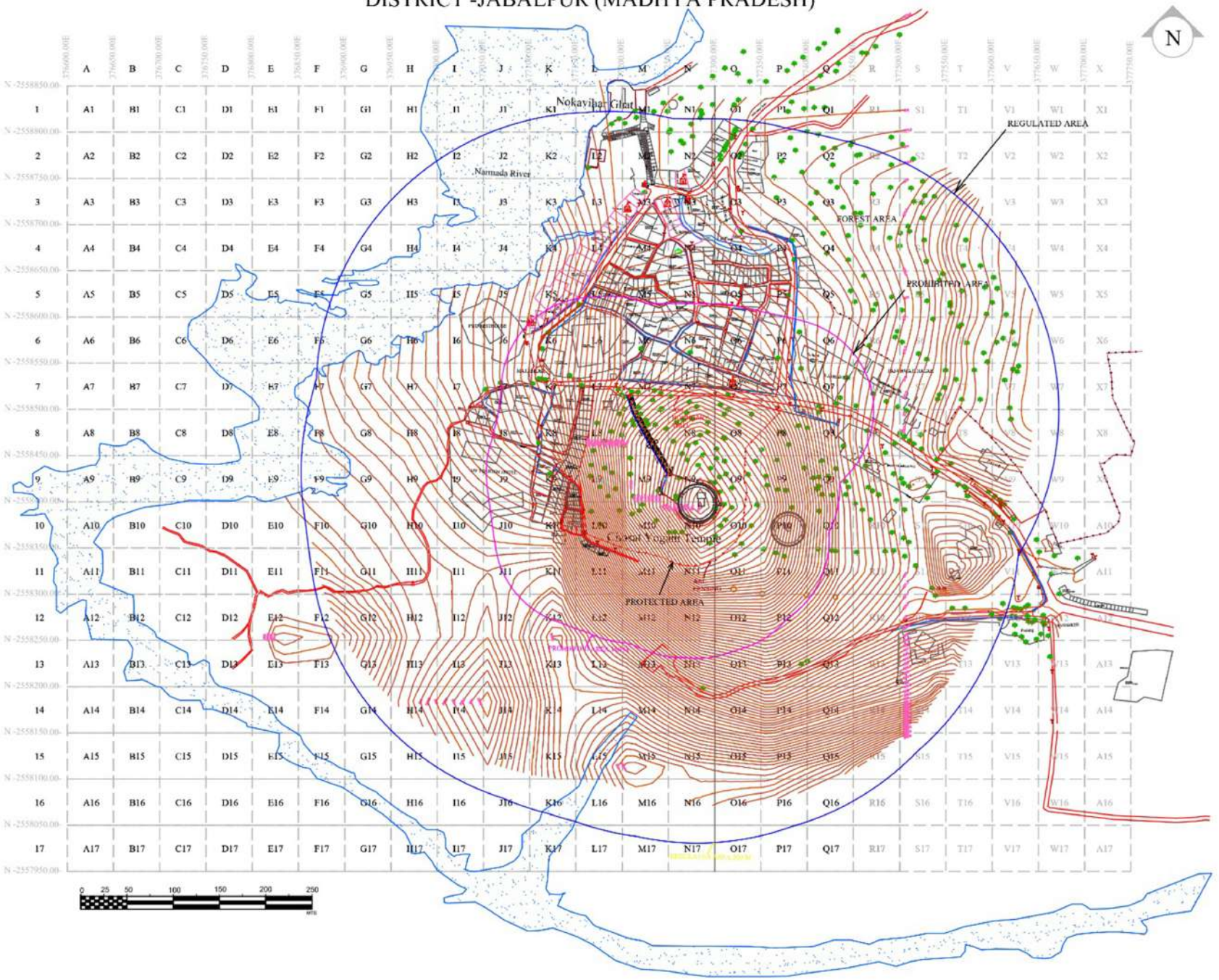

TITLE

SURVEY OF INDIA
ARCHAEOLOGICAL
BHOPAL CIRCLE ; BHOPAL(M.P.)
G.T.B. COMPLEX T.T. NAGAR BHOPAL

LEGEND

PROTECTED AREA
PROHIBITED AREA
PAKKA ROAD
REGULATED AREA
TEMPLE
MASJID
ARCHAEOLOGICAL REMAINS
GOVT. BUILDING
COMMERCIAL
RESIDENTIAL
GATE
TREE
CONTOUR
TELEPHONE POLE
ELECTRIC POLE
HAND PUMP
WELL
PARK
STAIR / CHABUTRA
BOUNDARY WALL
EXPOSED ROCK
BOULDERS

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

TITLE: LANDUSE MAP

PROJECT

TOPOGRAPHICAL PLAN OF CHAUSATH YOGINI TEMPLE (BHEDAGHAT)
DISTRICT JABALPUR
(MADHYA PRADESH)

CHECKED BY - I

CHECKED BY - II

SIGN. OF AUTHORITY

संलग्नक – III
ANNEXURE – III

चौंसठ जोगिनी मंदिर की अधिसूचना
Notification of Temple of Chaunsath Jogini

Original Notification - I

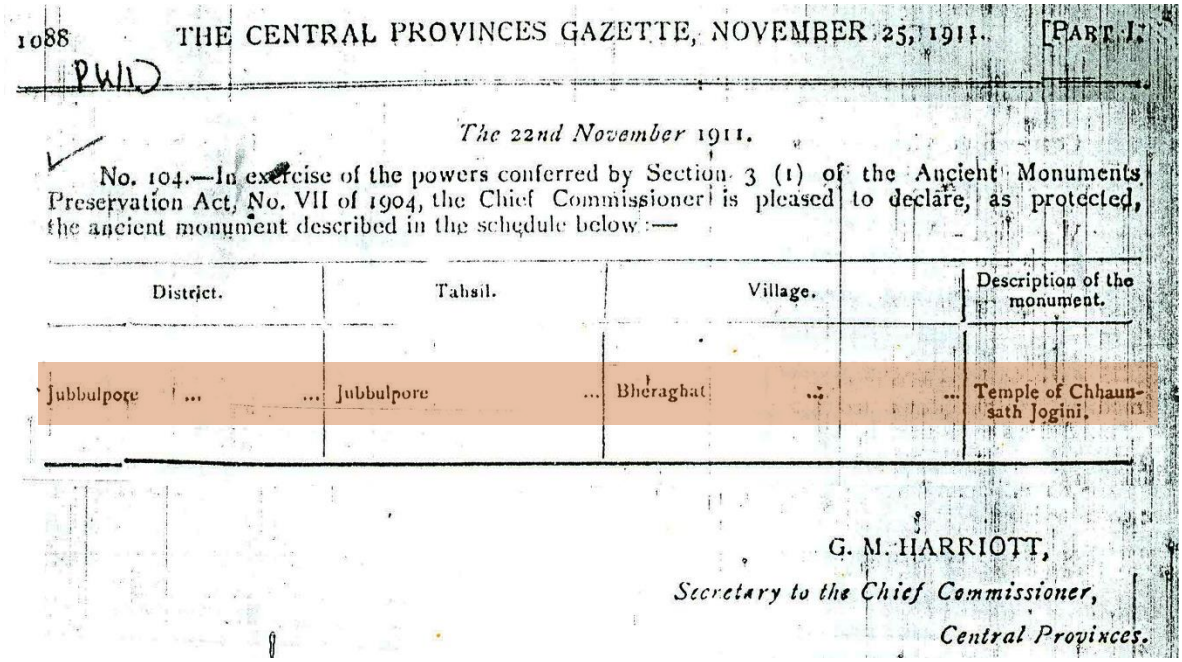

1088 THE CENTRAL PROVINCES GAZETTE, NOVEMBER 25, 1911. [PART I.

PWD

The 22nd November 1911.

No. 104.—In exercise of the powers conferred by Section 3 (1) of the Ancient Monuments Preservation Act, No. VII of 1904, the Chief Commissioner is pleased to declare, as protected, the ancient monument described in the schedule below :—

District.	Tahsil.	Village.	Description of the monument.
Jubbulpore ...	Jubbulpore ...	Bheraghat ...	Temple of Chhaunsath Jogini.

G. M. HARRIOTT,
Secretary to the Chief Commissioner,
Central Provinces.

Typed copy of Original Notification - I

1088 THE CENTRAL PROVINCES GAZETTE, NOVEMBER 25, 1911. [PART I.

The 22nd November, 1911.

No. 104 – In exercise of the powers conferred by Section 3(I) of the Ancient Monuments Preservation Act, No. VII of 1904, the Chief Commissioner is pleased to declare, as protected, the ancient monument described in the schedule below:-

District	Tahsil	Village	Description of monument.
Jubbulpore	Jubbulpore	Bheraghat	Temple of Chaunsath Jogini.

G.M. HARRIOTT,
Secretary to the Chief Commissioner,
Central Provinces.

Original Notification - II

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

Buildings and Roads Branch.

Nagpur, the 11th April 1925.

No. C.-72-A-B.-358.—In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904, His Excellency the Governor in Council is pleased to confirm the notifications noted below, declaring certain ancient monuments to be protected monuments under sub-section (1) of section 3 of the said Act :—

(1)	Revenue Department	No. 729, dated the 2nd February 1905.
(2)	" "	No. 730, dated the 2nd February 1905.
(3)	Public Works Department	No. 110, dated the 17th November 1906.
(4)	" " "	No. 61, dated the 28th September, 1908 read with No. 25, dated the 5th November 1909.
(5)	" " "	No. 32, dated the 20th November 1908.
(6)	" " "	No. 56, dated the 5th July 1909.
(7)	" " "	No. 13, dated the 30th July 1909.
(8)	" " "	No. 70, dated the 26th August 1909.
(9)	" " "	No. 80, dated the 7th October 1909.
(10)	" " "	No. 50, dated the 1st July 1911, so far as it relates to the Sindkhed tank.
(11)	" " "	No. 54, dated the 18th July 1911.
(12)	" " "	No. 104, dated the 22nd November 1911, read with corrigendum dated the 7th February 1912.
(13)	" " "	No. 110, dated the 30th November 1911.
(14)	" " "	No. 24, dated the 15th March 1912.
(15)	" " "	No. 39, dated the 4th April 1912, read with No. 109, dated the 3rd November 1912, and No. 37, dated the 27th April 1915.
(16)	" " "	No. 74, dated the 10th June 1912.
(17)	" " "	No. 94, dated the 22nd July 1912, read with No. 21, dated the 4th July 1914.
(18)	" " "	No. 107, dated the 29th August 1912.
(19)	" " "	No. 136, dated the 16th November 1912.
(20)	" " "	No. 7, dated the 15th January 1913, read with No. 22, dated the 10th February 1913, and No. 5154 dated the 4th December 1913.
(21)	" " "	No. 20, dated the 10th February 1913, read with No. 90, dated the 27th June 1913.
(22)	" " "	No. 30, dated the 25th February 1913.
(23)	" " "	No. 40, dated the 13th March 1913.
(24)	" " "	No. 60, dated the 17th August 1913, read with No. 22, dated the 13th March 1916.
(25)	" " "	No. 72, dated the 7th May 1913.
(26)	" " "	No. 82, dated the 24th May 1913.
(27)	" " "	No. 99, dated the 16th July 1913, so far as it relates to the old temple at Kodal.

(28)	Public Works Department			No. 106, dated the 2nd August 1923.
(29)	,,	,,	,,	No. 140, dated the 19th November 1913.
(30)	,,	,,	,,	No. 151, dated the 2nd December 1913, so far as it relates to the fort at Deogarh.
(31)	,,	,,	,,	No. 152, dated the 4th December 1913, read with No. 143, dated the 14th November 1914.
(32)	,,	,,	,,	No. 7, dated the 17th January 1914.
(33)	,,	,,	,,	No. 30, dated the 31st March 1914.
(34)	,,	,,	,,	No. 54, dated the 12th May 1914.
(35)	,,	,,	,,	No. 56, dated the 14th May 1914.
(36)	,,	,,	,,	No 67, dated the 17th June 1914.
(37)	,,	,,	,,	No. 69, dated the 25th June 1914.
(38)	,,	,,	,,	No. 82, dated the 3rd August 1914.
(39)	,,	,,	,,	No. 28, dated the 11th March 1915.
(40)	,,	,,	,,	No. 71, dated the 19th July 1915.
(41)	,,	,,	,,	No. 15, dated the 1st March 1916, read with No. 839-G.B., dated the 4th August 1917.
(42)	,,	,,	,,	No. 53, dated the 7th June 1916.
(43)	,,	,,	,,	No. 180, dated the 10th July 1916.
(44)	,,	,,	,,	No. 280, dated the 28th July 1916.
(45)	,,	,,	,,	No. 99, dated the 18th January 1919.
(46)	,,	,,	,,	No 377-A-G.B., dated the 1st July 1920.

By order of the Governor in Council,

J. A. BAKER,

Secretary to Government,
Central Provinces.

संलग्नक**– IV**

स्थानीय निकायों के दिशा निर्देश

भेड़ाघाट विकास योजना - 2021 के अनुसार विद्यमान दिशा-निर्देश

भेड़ाघाट विकास योजना -2021 का प्रारूप स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है।इसके अतिरक्त, निर्माण के लिए नियम और दिशा-निर्देश - **"भेड़ाघाट विकास योजना - 2021 (प्रारूप), और "मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984, 2012** में संशोधित" के अनुसार लागू होंगे, दोनों को **मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनयम 1973 (संख्या 23, वर्ष - 1973)**के तहत परिभाषित किया गया है, ।

1. नए निर्माण, इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैट बैक) दत्त भूमि आवृत्त, तल क्षेत्र अनुपात (एफ.आर.ए.)/ तल स्थल निर्देशिका (एफ.एस.आई.) और ऊंचाई के लिए विनियमित क्षेत्र में अनुमति।

निर्माण के लिए निहित नियम, जिनका उल्लेख - "भेड़ाघाट विकास योजना - **2021 (प्रारूप)"में है, मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (संख्या 23, वर्ष - 1973), धारा 13 (1) और (2)** के द्वारा परिभाषित है।

⇒ **नए आवासीय क्षेत्र विकास के नियम (उप-धारा 7.5)**

- भूखंड की चौड़ाई और गहराई का अनुपात 1: 1.5 से 1: 3 बताया गया है।
- तल क्षेत्र अनुपात और खुला स्थान, तालिका 1 में वर्णित भूखंड के आकार के अनुसार होगी।

तालिका एक

क्रम संख्या	भूखंड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	तल क्षेत्रफल (मीटर में)	भूमि आवृत्त क्षेत्र प्रतिशत में	तल -क्षेत्र अनुपात	खुले स्थान का हाशिया (मीटर) में			
					सामने का भाग	पीछे का भाग	पक्ष1	पक्ष2
1	4.0 x 8.0	32	60	1.00	3.0	0.0	0.0	0.0
2	4.0 x 12.0	48	60	1.00	3.0	1.5	0.0	0.0
3	5.0 x 15.0	75	60	1.00	3.0	1.5	0.0	0.0
4	7.0 x 15.0	105	50	1.00	3.0	1.5	0.0	0.0
5	9.0 x 15.0	135	50	1.00	3.0	1.5	2.5	0.0
6	11.10 x 18.0	200	50	1.00	3.0	2.5	2.5	0.0
7	12.0 x 18.0	216	50	1.00	3.5	2.5	3.0	0.0
8	12.0 x 24.0	288	40	1.00	4.5	2.5	3.0	1.5
9	15.0 x 24.0	360	35	1.00	6.0	2.5	3.0	3.0
10	15.0 x 27.0	405	33	1.00	7.5	3.0	3.5	3.0
11	18.0 x 30.0	540	33	1.00	8.0	3.0	4.0	3.0
12	20.0 x 30.0	600	33	1.00	9.0	3.0	4.5	3.0

13	25.0 x 30.0	750	30	1.00	12.0	4.5	4.5	4.5

टिप्पणी:-

1) एक कार पार्किंग की जगह न्यूनतम 240 वर्गमीटर होनी चाहिए जो 288 वर्ग मीटर से अधिक हो सकती है।

⇒ वाणिज्यिक विकास के नियम (उप-धारा 7.7):

1) वाणिज्यिक भूखंड के विकास के नियम नीचे उल्लिखित हैं:

तालिका 2

क्र.सं.	समूह उपयोग	निर्मित क्षेत्रों के लिये		तल क्षेत्र अनुपात
		स्थानिक विकास (प्रतिशत में)	निर्मित क्षेत्र (निगिमत विकास) प्रतिशत में	
1.	नगर केंद्र	80	50	1.00
2.	उप-नगर केंद्र	80	50	1.00
4.	स्थानीय विक्रय केन्द्र	80	50	1.00
5.	सुलभ खरीदारी केन्द्र	80	60	1.00

विकसित क्षेत्रों में निर्माण के नियम (उप-खंड 7.14):

1) आवासीय क्षेत्र के लिए:

तालिका 3

क्रम संख्या	भूखंड / भूमि (वर्ग मीटर में)	भूमि आवृत्त क्षेत्र प्रतिशत में	तल क्षेत्र अनुपात
1.	90 तक	50	1.0
2.	90-180 तक	50	1.0
3.	180 से अधिक	50	1.0

2) वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए:

तालिका 4

क्र.स.	भूखंड / भूमि (वर्ग मीटर में)	भूमि आवृत्त क्षेत्र प्रतिशत में	**तल क्षेत्र अनुपात**
1.	200 तक	80	1.0
2.	201-400	70	1.0
3.	400 से अधिक	60	1.0

इसके अतिरिक्त, निर्माण के लिए अन्य नियम **"मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984, संशोधित 2012"** के अनुसार लागू होंगे, जो **मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनयम, 1973 (संख्या 23, वर्ष - 1973)** के तहत परिभाषित अधिनियम है। वे इस प्रकार हैं:

उन भूखंडो / भूमि के विकास के मानक जिन पर 12.5 मीटर से 30 मीटर तक की ऊँचाई वाले भवन प्रस्तावित हैं (उप धारा 42):

तालिका 5

क्र.स.	**सड़क की चौड़ाई मीटर में**	**न्यूनतम भूखंड भूमि (क्षेत्र वर्ग मीटर मे)**	**घर का अग्रभाग मीटर में**	**तल क्षेत्र अनुपात**	**भूमि आवृत्त प्रतिशत**	**इमारत की ऊँचाई मीटर में**	**अग्रभाग न्यूनतम प्रचलित खंड**	**पक्ष / आर.ई.सी. अग्रभाग न्यूनतम प्रचलित खंड मीटर में**
1.	12मी. और ऊपर	1000 वर्ग मीटर	18 मीटर	1:1.50	30	18 मीटर तक	7.5	6.0
2.	18 मीटर और ऊपर	1500 वर्ग मीटर	21 मीटर	1:1.75	30	24 मीटर तक	9.0	6.0
3.	24 मीटर और ऊपर	2000	30 मीटर	1:2.0	30	30 मीटर तक	12.00 मीटर	7.5 मीटर

टिप्पणी:

जहाँ उपयोग का स्थान व्यावसायिक है, वहाँ ऊपर कॉलम 6 में उल्लिखित भूमि आवृत्त को 40 के रूप में पढ़ा जाएगा।

भूखंडों का आकार और अन्य मानदंड (उप धारा 53):

(1) आवासीय: प्रत्येक भूखंड के विकास के प्रकार के अनुसार न्यूनतम आकार और अग्रभाग होगा:

तालिका 6

प्रकार	भूखंड का आकार (वर्ग मीटर में)	अग्रभाग (मीटर में)
असंलग्न इमारत	225 से ऊपर	12 से ऊपर
अर्ध-असंलग्न इमारत	125-225	8 से12
पंक्ति प्रकार इमारत	50-225	4.5 से 12

(2) औद्योगिक: भूखंड का आकार स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होगा।

(3) अन्य भूमि उपयोग: व्यवसाय, शैक्षिक, व्यापारिक, सभागार, सिनेमा / रंगशाला, मंगल कार्यालय / विवाह उद्यान, ईंधन भरने वाले स्टेशनों आदि जैसे अन्य उपयोगों के भवनों के लिए न्यूनतम आकार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा खंड (I) के अधीन तय किया जाएगा।

सार्वजनिक मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभागार / रंगशालाओं के लिए भूखंड का न्यूनतम आकार भवन की बैठने की क्षमता के आधार पर 3 वर्ग मीटर प्रति आसन (सीट) की दर से होगा।

तल क्षेत्र अनुपात और समूह आवास के लिये आवृत्त क्षेत्र (उपधारा 60)

तालिका 7

क्रम सं	सकल आवासीय घनत्व व्यक्ति / हेक्टेअर	अधिकतम आवृत्त क्षेत्र (प्रतिशत)	तल क्षेत्र अनुपात
1	125	25	0.75
2	252	30	1.25
3	425	33	1.50
4	500	35	1.75
5	625	35	2.00

टिप्पणी:

1) विभिन्न घनत्वों के लिए भूमि आवृत्त और तल क्षेत्र अनुपात तालिका 7 में प्रदत्त अनुसार यदि विकास योजना में प्रदान नहीं किया गया हो।

2) भूमि आवृत्त की गणना कटौती के बाद समूह आवास के लिए आरक्षित पूरे क्षेत्र के आधार पर की जाएगी:

• किसी भी राजमार्ग का क्षेत्र या किसी भी सड़क की चौड़ाई 18 मीटर या इससे अधिक जो समूह आवास के क्षेत्र में आता है।

• समूह आवास क्षेत्र के भीतर स्कूलों का क्षेत्र (शिशु मंदिर विद्यालयों के लिए स्थलों को छोड़कर) और अन्य सामुदायिक सुविधाएं

• निर्धारित खुला स्थान, (खेल के मैदान और स्थानीय प्रकृति के बाल उद्यान की अनुमति इन खुले स्थानों में होगी)।

2. स्थानीय निकायों के साथ धरोहर उप-विधियॉ / विनियमन / दिशानिर्देश, कोई भी उपलब्ध होने पर।

भेड़ाघाट विकास योजना - 2021 (प्रारूप) उप-धारा 2.1 में, स्मारक को नगर में अवस्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

आगे **"भेड़ाघाट विकास योजना - 2021 (प्रारूप)"** के अनुसार ऐतिहासिक स्मारकों और विरासत स्थलों के लिए लागू नियम और विनियमन इस प्रकार हैं:

नगरीय विरासत क्षेत्रों के लिए विनियमन (उप-धारा 7.16):

स्मारकों और धरोहर भवन के संरक्षण और सुधार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। जब तक प्रस्ताव कार्यान्वयन के लिए तैयार होता है, तब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित और सूचीबद्ध विरासत भवन क्षेत्र निम्नलिखित नियमों द्वारा शासित होगा:

1. प्रत्येक धरोहर भवन का प्रतिबंधित क्षेत्र इसकी परिधि के 100 मीटर के दायरे में फैला होगा।

2. चयनित और सूचीबद्ध धरोहर भवनों को निजी कब्जे में होने पर भी ध्वस्त नहीं होने दिया जाएगा।

3. प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली धरोहर संरचनाएं शहर के सामान्य भवन उप- विधियों से संचालित नहीं होंगी।

4. प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित भवन की ऊंचाई और रचना धरोहर भवनों की वास्तुकला के समान होनी चाहिए।

5. भूदृश्य विकास प्रतिबंधित क्षेत्र में स्वीकार्य होगा जिसके प्रतिवेश में वृक्षारोपण होगा, भवन के चारों ओर पार्किंग की यथोचित रूप से रचना की जानी चाहिए और साथ ही सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद स्वीकार्य होगा।

संवेदनशील क्षेत्रों के लिए विनियमन (उप धारा 7.15):

1. संवेदनशील क्षेत्र में विकास के नियम निम्नानुसार हैं: - नदियों, नालों और तालाबों के किनारे पर खुले क्षेत्र को छोड़ना चाहिये जैसा मध्य प्रदेश भूमि विकास अधिनियम 1984 में उल्लिखित है। नियमों के अनुसार इसमें नदी के तट पर न्यूनतम 50 मीटर की खुली भूमि छोड़ना अनिवार्य है ।

2. संवेदनशील क्षेत्रों में निम्न प्रकार की भवनों से संबंधित रखरखाव कार्य स्वीकृत होंगे:

क) ऐतिहासिक महत्व के लिए।

ख) नागरिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए धरोहर।

ग) निजी भूमि में आने वाली धरोहर भवन।

घ) समय-समय पर खोजे गए ऐतिहासिक भवन ।

3 खुला स्थान

खुले स्थानों के लिए कुछ नियम **"मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984, संशोधित 2012"** में निर्दिष्ट किए गए हैं, जो मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनयम, 1973 (संख्या 23, वर्ष - 1973) के अंतर्गत परिभाषित है।

⇒ **भूखंड के भीतर खुला स्थान (उप-धारा 55):**

1) प्रकाश और वायु के मुक्त संचार के प्रयोजनों के लिए खुले स्थान प्रत्येक भवन और भाग (स्कंध) के लिए अलग या भिन्न होंगे।

2) 7 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भवनों के बीच अलगाव 1.5 मीटर से कम नहीं होगा और 7 मीटर की ऊँचाई तक की इमारतों के लिए इस तरह के अलगाव की आवश्यकता नहीं होती है।

⇒ **आवासीय भवन - खुला स्थान (उप-धारा 56):**

12.5 मीटर तक ऊँचाई वाले भवनों के लिए बाहरी खुला स्थान।

1) सामने का खुला स्थान।

क) 12.5 मीटर तक ऊँचाई वाले प्रत्येक आवासीय भवन, जिसके सामने मार्ग हो, नीचे दिए गए अनुसार सामने खुला स्थान होगा और ऐसा खुला स्थान ऐसे स्थल का अभिन्न भाग होगा।

तालिका 8

क्रम सं.	**भू-खंड के सामने मार्ग की चौड़ाई**	**अग्रभाग खुला स्थान**
1.	9.0 मीटर तक	3.0 मीटर
2.	9.0 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक	3.6 मीटर
3.	12.0 मीटर से अधिक और मीटर तक	4.5 मीटर
4.	18 मीटर से अधिक	6.0 मीटर

ख) 6.0 मीटर से कम चौड़े मार्ग से लगे विद्यमान विकसित क्षेत्रों में भवन की दूरी (भवन रेखा) मार्ग की मध्य रेखा (सेंटर लाइन) से 6.0 मीटर होगी:

2) पीछे का खुला स्थान

क) प्रत्येक आवासीय भवन, जिसकी ऊँचाई 12.5 मीटर तक है, के पीछे का खुला स्थान निम्नानुसार होगा:

तालिका 9

क्रम.संख्या	**भूखंड क्षेत्र (वर्ग मीटर में)**	**पीछे न्यूनतम खुला स्थान (मीटर में)**
1	40.00 तक	निरंक
2	40.00 से अधिक और 150.00 तक	1.5
3	150 से अधिक और 225.00 तक	2.5
4	225.00 से अधिक	3

ख) पीछे की दीवारों के किनारे तक पीछे का खुला स्थान- पीछे खुला स्थान पीछे की समस्त दीवार के साथ-साथ विस्तृत होगा। समस्त भवन दो यो दो से अधिक सड़कों से लगा हुआ हो तो ऐसा पीछे का खुला स्थान के पीछे की, दीवार के किनारों तक रखा जाएगा। जब तक प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे, ऐसी पीछे की दीवार भवन के मुख के विपरीत वाली दीवार होगी।

3 बगल का खुला स्थान:

प्रत्येक अर्द्ध संबद्ध और असंबद्ध भवन में स्थायी रूप से खुला स्थान रहेगा जो निम्नानुसार स्थल का अभिन्न भाग होगा:

क) असंबद्ध भवनों के लिए दोनों ओर कम से कम 3 मीटर खुला स्थान होगा, परन्तु 12 मीटर से कम अग्रभाग वाले भूखण्डों पर 7 मीटर तक की ऊँचाई के असंबद्ध आवासीय भवन के लिए, एक तरफ का खुला स्थान 1.5 मीटर तक रखा जा सकेगा।

ख) अर्ध संबद्ध भवनों के लिए एक ओर न्यूनतम 3.0 मीटर खुला स्थान होगा। 10 मीटर तक के अग्रभाग वाले भूखंडों पर निर्मित, 10 मीटर की ऊँचाई तक के अर्ध- संबद्ध भवनों के लिए खुला स्थान 2.5 मीटर तक नियत किया जा सकता है।

ग) पंक्तिबद्ध भवनों के लिए बगल का कोई भी खुला स्थान रखना आवश्यक नहीं होगा।

4) उप-नियम (2) एवं (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, (गैराज) गाड़ी रखने के लिए पीछे की ओर का खुला स्थान अनुज्ञात किया जा सकेगा।

⇒ अन्य व्यवसायिक भवनों के लिए खुला स्थान (उपधारा 57)

(क) शैक्षिणिक भवन: शिशु मंदिर (नर्सरी) विद्यालय को छोड़कर, भवन के आसपास के खुले स्थान 6 मीटर से कम नहीं होंगे।

(ख) संस्थागत भवन: भवन के आसपास के खुले स्थान 6 मीटर से कम नहीं होंगे।

(ग) सभा भवन: भवन के सामने का खुला स्थान 12 मीटर से कम नहीं होगा तथा आसपास के अन्य खुले स्थान 6 मीटर से कम नहीं होंगे।

(घ) व्यापारिक, वाणिज्यिक तथा भण्डार भवन: भवनों के सामने का खुला स्थान 6 मीटर तथा तीनों तरफ 4.5 मीटर से कम नहीं होंगे। जहां यह पूर्णरूप से आवासीय क्षेत्र में स्थित हों या दुकान तथा आवासीय क्षेत्र में हो, वहां खुले स्थानों के संबंध में छूट दी जा सकेगी।

(ड.) औद्योगिक भवन: भवन के आसपास का खुला स्थान 16 मीटर तक की ऊँचाई के लिए 4.5 मीटर से कम नहीं होगा तथा 16 मीटर से अधिक की ऊँचाई में प्रत्येक एक मीटर या उसके भाग की वृद्धि के लिए खुले स्थान में 0.25 मीटर की वृद्धि की जाएगी

(च) खतरनाक अधिभोग: भवन के आसपास के खुले स्थान उपरोक्त खंड (ड.) में उल्लिखित औद्योगिक भवनों के लिए यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

⇒ **खुले स्थानों की सीमाएँ (उप-धारा 59)**

1) खुला स्थान में कमी करने के विरूद्ध रक्षोपाय: किसी भी भवन पर उस स्थिति में कोई निर्माण कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि उससे समीपवर्ती किसी अन्य भवन के जो कि उसी स्वामी का हो, खुले स्थानों में प्रस्तावित कार्य के समय उस विहित सीमा से अधिक कमी हो जाए अथवा यदि वह पहले से ही उस सीमा से कम हों तो और अधिक कमी हो जाए।

(2) एक भवन में परिवर्धन या विस्तार: भवन की खुली जगह में परिवर्धन या विस्तार नियमों को पूरा करने पर परिवर्धन या विस्तार की अनुमति दी जाएगी।

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में आवागमन - सड़क की ऊपरी सतह, पैदल यात्री मार्ग, मोटर- रहित / परिवहन आदि।

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में आवागमन के लिए स्थानीय विकास योजना में परिभाषित कोई विशेष उप-विधि / खंड नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, गाँव के क्षेत्र में, परिवहन को मुख्य रूप से वैयक्तिकृत साधनों द्वारा पूरा किया जाता है: - दो पहिया वाहन, साइकिल, टैम्पो,कार, जीप, टैक्सी, वैन, ऑटो रिक्शा, मिनी बस, ट्रक, मेटाडोर, ट्रैक्टर और ट्रॉली, तॉगा, ठेला, आदि।

इसके अतिरिक्त, स्मारक का भेड़ाघाट सड़क और पंचवटी उद्यान सड़क के साथ सीधी संबद्धता है। और, स्मारक क्षेत्र में, यातायात को ज्यादातर धीमी गति से चलने वाले मोटर चालित और मोटर रहित-वाहनों के साथ पूरा किया जाता है।

5. गलियॉ, अग्रभाग तथा नव निर्माण:

गलियॉ और अग्रभाग:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर गलियों और अग्रभाग के लिए कोई विशिष्ट उप-विधियॉ और दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं हैं।

नव निर्माण:

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने व्यक्तिगत रूप से शहरी और ग्रामीण विकास के लिए आवास नीति भी बनाई है; ग्रामीण समुदाय के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना तैयार की गई है। अब इसके लिए मुख्य योजना तैयार करना होगा। पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत नालियों और सेवा नलिकाओं के साथ आंतरिक सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायतों द्वारा नगरपालिका के कार्यों को अनिवार्य करने के लिए पंचायत अधिनयम और नियमों के प्रावधान बनाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सभी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार की आवास योजना - "प्रधानमंत्री आवास योजना" प्रस्तावित है।

ANNEXURE – IV

LOCAL BODIES GUIDELINES

EXISTING GUIDELINES AS PER BHEDAGHAT DEVELOPMENT PLAN – 2021

The draft of the **Bhedaghat Development Plan – 2021** is prepared by the local authorities. Further, rules and guidelines for construction will be applicable according to the - **"Bhedaghat Development Plan – 2021 (Draft)",** and **"Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam 1984, revised 2012",** both defined under the **Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23, Year - 1973).**

1. Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and Heights with the regulated area for new construction, Set Backs.

Rules are implied for construction which are mentioned in the - **"Bhedaghat Development Plan – 2021 (Draft)",** the act defined under the **Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23, Year - 1973), section 13(1) and (2).**

⇒Rules of New Residential area development (sub-section 7.5)

- The Plot width and depth ratio is described as 1:1.5 to 1:3.
- The FAR and open space will be as per the plot size mentioned in Table 1.

Table 1

Sr. No.	Plot area in meter	Surface Area in Meter	Ground Coverage area in Percentage	FAR	Marginal Open Space in Meter			
					Front	Rear	Side1	Side2
1	4.0 x 8.0	32	60	1.00	3.0	0.0	0.0	0.0
2	4.0 x 12.0	48	60	1.00	3.0	1.5	0.0	0.0
3	5.0 x 15.0	75	60	1.00	3.0	1.5	0.0	0.0
4	7.0 x 15.0	105	50	1.00	3.0	1.5	0.0	0.0
5	9.0 x 15.0	135	50	1.00	3.0	1.5	2.5	0.0
6	11.10 x 18.0	200	50	1.00	3.0	2.5	2.5	0.0
7	12.0 x 18.0	216	50	1.00	3.5	2.5	3.0	0.0
8	12.0 x 24.0	288	40	1.00	4.5	2.5	3.0	1.5
9	15.0 x 24.0	360	35	1.00	6.0	2.5	3.0	3.0
10	15.0 x 27.0	405	33	1.00	7.5	3.0	3.5	3.0
11	18.0 x 30.0	540	33	1.00	8.0	3.0	4.0	3.0
12	20.0 x 30.0	600	33	1.00	9.0	3.0	4.5	3.0
13	25.0 x 30.0	750	30	1.00	12.0	4.5	4.5	4.5

Note:

1) A car parking space should be Minimum 240sqm that can be exceeded 288 sq. Meters.

⇒ **Rules for Commercial development (sub-section 7.7):**

1) Rules for development of commercial plot are mentioned below:

Table 2

Sr. No.	Use Group	For Constructed Areas		FAR
		Spatial development (in percentage)	Constructed area (Corporate development) in percentage	
1.	City Centre	80	50	1.00
2.	Sub-city centre	80	50	1.00
4.	Local Shopping Centre	80	50	1.00
5.	Convenience Shopping Centre	80	60	1.00

⇒ **Rules for construction in developed areas (sub-section 7.14):**

1) For Residential Area:

Table 3

Sr. No.	Area of the Plot / Land (In sq. m)	Ground Coverage area in Percentage	FAR
1.	Upto 90	50	1.0
2.	90-180	50	1.0
3.	Above 180	50	1.0

2) For Commercial Area:

Table 4

Sr. No.	Area of the Plot / Land (In sq. m)	Ground Coverage area in Percentage	FAR
1.	Upto 200	80	1.0
2.	201-400	70	1.0
3.	Above 400	60	1.0

Further, other rules for construction will be applicable according to **"Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam 1984, revised 2012",** the act defined under the **Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23, Year - 1973).** They are as follows:

⇒ **Development norms for plots / lands on which building(s) with height above 12.5 m and up to 30 m is proposed (Sub section 42):**

Table 5

Sr. No.	Road Width in meters	Minimum plot land (area in sqm)	Frontage in meters	FAR	Ground Coverage percentage	Building Height in meters	Front M.O.S in meters	Sides / rec in MOS in meter
1.	12m & above	1000 sqm	18 m	1:1.50	30	Upto 18 m	7.5	6.0
2.	18m & above	1500 Sqm	21 m	1:1.75	30	Upto 24 m	9.0	6.0
3.	24m & above	2000	30m	1:2.0	30	Upto 30 m	12.00 m	7.5m

Note:
Where the use premises is commercial, the ground coverage mentioned in Column 6 above shall be read as 40.

⇒ **Size of plots and other norms (sub section 53):**

(1) Residential: Each plot shall have a minimum size and frontage corresponding to the type of development as given below:

Table 6

Type of	Plot size (Sq.	Frontage (meters)
Detached building	Above 225	Above 12
Semi-detached building	125-225	8 to 12
Row type building	50-225	4.5 to 12

(2) Industrial: The size of plot shall be such as approved by the local development Authority.

(3) Other land uses: The minimum size of plots for buildings for other uses like business, educational, mercantile, assembly, cinema/ theatre, mangal karyalaya/ marriage garden, fuel filling stations etc., shall be as decided by the local Authority subject to the clause (I).

Assembly Halls /Theatres; The Minimum size of plot for assembly building/theatres used for public entertainment with fixed seats shall be on the basis of seating capacity of the building at the rate of 3 Square meters per Seat.

⇒ **Floor Area Ratio and Coverage for group housing (Sub section 60):**

Table 7

Sr. No.	Gross residential density Persons/Hectare	Maximum coverage in percentage	Floor area Ratio
1	125	25	0.75
2	252	30	1.25
3	425	33	1.50
4	500	35	1.75
5	625	35	2.00

Note:

1) The coverage and floor area ratio for various densities may be as provided in Table 7 unless provided in the development plan.
2) The coverage shall be calculated on the basis of the whole area reserved for group housing after deducting:
   - the area of any highway or any road of width 18mtrs. or more which falls within the area of Group Housing
   - the area of schools (excluding sites for Nursery Schools) and other community facilities within the Group Housing Area
   - the prescribed open space (playgrounds and tot lots of local nature shall be permitted in these open spaces).

2. Heritage byelaws/ regulations/ guidelines if any available with local Bodies.

In the **Bhedaghat Development Plan – 2021 (Draft), sub-section 2.1,** the monument is categorized under the list of major tourist places present in the city.

Further the rules and regulation applicable for historical monuments and heritage sites according to "**Bhedaghat Development plan – 2021 (Draft)",** are mentioned as:

Regulation for urban heritage areas (sub-section 7.16):
Detailed proposals should be prepared by the competent authority to preserve and improve the souvenirs and heritage buildings. By the time proposal get ready for implementation, the heritage building area selected and listed by the competent authority will be governed by the following rules:

1. The restricted area of each Heritage building will be spread over 100 metres of its circumference.
2. The selected and listed Heritage buildings will not be allowed to be demolished even if they are in private possession.
3. The Heritage structures under the restricted area will not be governed from the usual general building bye laws of the city.
4. The height and design of the building located in the restricted area should be similar

to the architecture of Heritage buildings.

5. Landscape development will be acceptable in the restricted area in which the surroundings will have tree plantation, parking around the building should be reasonably designed and at the same will be acceptable after approval from the competent authority.

Regulation for sensitive areas (Sub section 7.15):

1. The rules of development in the sensitive area are as under: - The open area on the bank of rivers, streams and ponds should be left as mentioned in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Adhiniyam 1984. According to the rules it is mandatory to leave the open land of minimum 50 Meters at the coast of the river.
2. In sensitive areas maintenance work related of the following types of buildings will be acceptable:
   a) For historical significance.
   b) Buildings for civil and cultural importance.
   c) Heritage buildings coming in private land.
   d) Historical buildings searched from time to time.

3 Open spaces.

Some rules for regrading open spaces are specified in the **"Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam 1984, revised 2012",** the act defined under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23, Year - 1973).

⇒Open Spaces, within a Plot (sub-section 55):

1) The open spaces shall be separate or distinct for each building and wings, for the purposes of light and ventilation.
2) Separation between buildings of more than 7 meters in height, shall not be less than 1.5 meters and for buildings up to 7 meters in height no such separation is required.

⇒Residential Buildings. - Open Spaces (sub-section 56).

Exterior open spaces for buildings having height up to 12.5 meters.

1) Front open spaces.

a) Every Residential Building having height up to 12.5 meters, facing street shall have a front open space mentioned below and such open space shall form an integral part of the site:

Table 8

S. No.	Width of street facing the plot	Front open space
1.	Up to 9.0 meters	3.0 meters
2.	More than 9.0 meters and up to 12 meters	3.6 meters
3.	More than 12.0 meters and up to 18 meters	4.5 meters
4.	Above 18 meters.	6.0 meters

b) In existing developed areas with streets less than 6.0 meters in width, the distances of the building (building line) shall be at 6.0 meters from the centre line of the street.

2) Rear open spaces.

a) Every Residential Building, having height up to 12.5 meters, shall have a Rear Open Space, as below:

Table 8

S. No.	Plot area in Square meters	Minimum Rear Open space in meters
1	Up to 40.00	Nil
2	Above 40.00 and Up to 150.00	1.5
3	Above 150 and up to 225.00	2.5
4	Above 225.00	3

b) Rear open space to extend up to the rear wall. The rear open space shall be \ Co-extensive with the entire face of the rear wall. If a building abuts on two or more streets, such rear open space shall be provided through-out the entire face of the rear wall. Such rear wall shall be the wall on the opposite side of the face of the building unless the Authority otherwise directs.

3) Side open space.

Every semi-detached and detached building shall have a permanently open airspace on sides, forming integral part of the site as below:

a) For detached buildings there shall be minimum side open spaces of 3 meters on both the sides provided that for detached residential building up to 7 meters in height on plots with a frontage less than 12 meters, one of the sides open space may be reduced to 1.5 meters.

b) For semi- detached building there shall be a minimum side open space of 3.0 meters on one side. For Semi-detached building up to 10 meters in height on plots with a frontage up to 10 meters, the side open space may be reduced to 2.5 meters.

c) For row-type buildings, no side open space is required.

4) Not withstanding anything contained in sub-rule (2) and (3) garage may be permitted at rear end of the side open space.

⇒ **Open spaces for other occupancies (sub-section 57).**

a. Educational Buildings. Except for nursery school, the open spaces around the building shall be not less than 6 meters.

b. Institutional Building. The open spaces around the building shall not be less than 6 meters.

c. Assembly Building. The open space at front shall not be less than 12 meters and other spaces around the building shall not be less than 6 meters.

d. Business, Mercantile and Storage Buildings. The open spaces shall not be less than 6 meters in the front and 4.5 meters on other three sides. Where these are situated in purely residential zone or residential with shops line zone, the open spaces may be relaxed.

e. Industrial Buildings. The open spaces around the building shall not be less than 4 5 meters for heights up to 16 meters with an increase of the open spaces of 0.25

meters for every increase of 1 meter or fraction thereof in height above 16 meters.

f. Hazardous occupancies. - The open space around the building shall be as specified for industrial buildings mentioned in clause (e) above.

⇒ **Limitation to open spaces (sub-section 59).**

1) Safeguard against reduction of open spaces. No construction work on a building shall be allowed if such work operates to reduce an open space of any other adjoining building belonging to the same owner to an extent less than what is prescribed at the time of the proposed work or to reduce further such open space if it is already less than that prescribed.
2) Additions or Extensions to a building. Additions or extensions of building shall be allowed provided that the open spaces for the additions or extensions would satisfy these rules after such additions or extensions are made.

4. Mobility with the Prohibited and Regulated area – Road Surfacing, Pedestrian Ways, non –motorised Transport etc.

There are no particular bye-laws/clauses defined in the local development plan for mobility in the prohibited and the regulated area. Moreover, in the village area, the transportation is primarily catered by personalized modes:- Two wheelers, Bicycles, Tempos, Car, Jeeps, Taxi, Vans, Auto Rickshaws, Mini Bus, Truck, Matador, Tractor and Trolley, Tongas, Thelas etc.

Further, the monument has direct connectivity with the Bhedaghat road and the Panchvati Garden road. And, in the monumental area, the traffic is mostly catered with slow moving motorized and non - motorized vehicles.

5. Streetscapes, Facades and New Construction.

Streetscapes and facades:

There are no specific Bye-Laws and Guidelines available for the Streetscapes and Facades within the Prohibited and Regulated area.

New Construction:

Further, the Madhya Pradesh State Government has also individually made the housing policy for urban and rural development therein; the rural area development plan has been prepared under Indira Awas Yojana housing scheme program for rural community. Now the master plan has to be prepared for it. Internal cement concrete roads with drains and service ducts will be constructed under the Panch Parmeshwar Yojana. The provisions of the Panchayat Adhiniyam and rules framed therein, to make mandatory municipal functions by the Gram Panchayats.

Apart from this, the housing scheme - “Pradhan Mantri Awas Yoja” of Central Government for all rural areas development is proposed.

संलग्नक–V

ANNEXURE –V

भेड़ाघाट विकास योजना 2021

BHERAGHAT DEVELOPMENT PLAN-2021

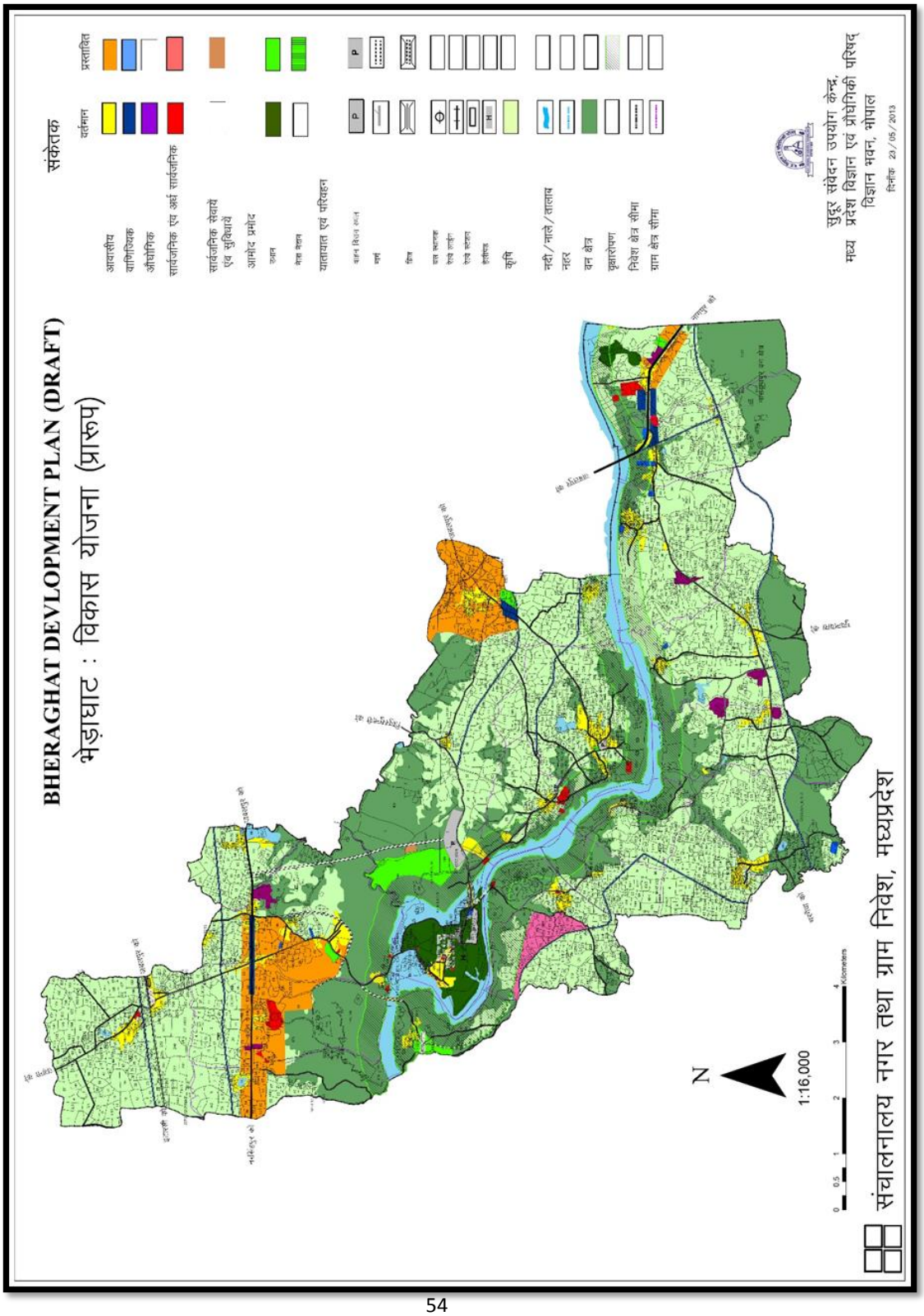

संलग्नक -VI

ANNEXURE –VI

स्मारक के प्रतिवेश क्षेत्र के छायाचित्र
IMAGES OF THE MONUMENT AND ITS SURROUNDINGS

चित्र 1, परिसर में संरचना का बाहरी दृश्य

Plate 1, Exterior view of the structure at the premises

चित्र 2, मंदिर के अंदर वृषभारूढ़ भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमा का दृश्य

Plate 2, View of the sculpture of Lord Shiva and Goddess Parvati riding Nandi inside the temple

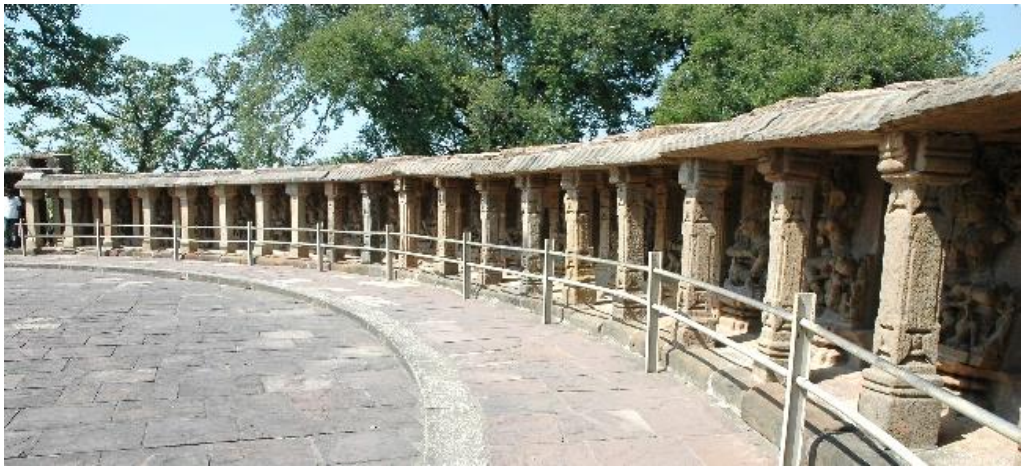

चित्र 3, वृत्ताकार परिधि मे व्यवस्थित कक्षों (प्रकोष्ठों) का दृश्य

Plate 3, View of cells arranged in circular periphery

चित्र 4, कक्षों (प्रकोष्ठों) के अंदर स्थित योगिनी प्रतिमाओं का दृश्य

Plate 4, View of yoginis sculptures present inside the cells.

चित्र 5, गौरी शंकर मंदिर का दृश्य

Plate 5, View of the Gauri Shankar Temple

चित्र 6, योगिनी प्रतिमाओं का दृश्य

Plate 6, View of the Yoginis